वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2019-20

HEC Builds Machines That Build the Nation

एच. ई. सी.

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)

एच. ई. सी.

गुणवत्ता नीति

ग्राहक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों एवं सेवाओं के विश्वसनीय सप्लायर के रूप में अग्रणी स्थान प्राप्त करना तथा उसे बनाये रखना

Quality Policy

To achieve and maintain a leading position as supplier of reliable quality products, systems and services to meet customer needs and expectations

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
HEAVY ENGINEERING CORPORATION LTD.

निदेशक मंडल

(22.12.2020 के अनुसार)

डॉ नलिन सिंघल
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

अरून्धती पंडा
निदेशक (वित्त)

मृदुल कुमार सक्सेना
निदेशक (कार्मिक)

डॉ राणा शुभाषीश चक्रवर्ती
निदेशक (विपणन)
एवं निदेशक उत्पादन (अति. प्रभार)

सुजाता शर्मा
सी.इए./डीएचआई एवं निदेशक

नीलम एस. कुमार
सीसीए/डीएचआई एवं निदेशक

अभय कुमार कंठ
कम्पनी सचिव

एचईसी द्वारा एनसीएल में कृष्णशिला प्रोजेक्ट का कमीशनिंग

एचईसी द्वारा आपूर्ति किया गया ईओटी क्रेन का भिलाई स्टील प्लांट में कमीशनिंग

अनुक्रमणिका

1. वार्षिक आम सभा की सूचना 2
2. निदेशको का प्रतिवेदन 3
   – अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, समायोजन, इनोवेशन और ऊर्जा संरक्षण 12
   – निगमित शासन की रिपोर्ट 14
   – प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन 17
   – लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का उत्तर 18
   – नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं प्रबंधन का उत्तर 32
   – वार्षिक रिटर्न का एक्सट्रैक्ट (फार्म नं. एम.जी.टी.–9) 33
3. वार्षिक लेखा 37
   – अंकेक्षित लेखा के साथ टिप्पणियां

निदेशक मंडल

(22.12.2020)

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक	:	डॉ. नलिन सिंघल
निदेशक (वित्त)	:	श्रीमती अरून्धती पंडा
निदेशक (कार्मिक)	:	श्री मृदुल कुमार सक्सेना
निदेशक (विपणन) एवं निदेशक (उत्पादन) अतिरिक्त प्रभार	:	डॉ. राणा शुभाशीष चक्रवर्ती
निदेशकगण	:	श्रीमती सुजाता शर्मा (सी.इए/डीएचआई) श्रीमती नीलम एस कुमार (सीसीए/डीएचआई)
कम्पनी सचिव	:	श्री अभय कुमार कंठ
सांविधिक लेखा परीक्षक	:	मेसर्स लोधा वाधवा पटेल एण्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)
बैंकर्स	:	भारतीय स्टेट बैंक
पंजीकृत कार्यालय	:	प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, राँची–834004 (झारखण्ड)

वार्षिक आमसभा की सूचना

एतद् द्वारा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 61वीं वार्षिक आमसभा मंगलवार, दिनांक 22.12.2020 को पूर्वाह्न 03.00 बजे, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियो विजुअल के माध्यम से निम्नलिखित करोबार के संपादन के लिए होगी :

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तिय विवरण उसके साथ शेयरधारकों हेतु निदेशकगण का प्रतिवेदन, उस पर अंकेक्षक रिपोर्ट एवं सी एण्ड ए जी की टिप्पणी को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत् सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अन्तर्गत सांविधिक अंकेक्षक का पारिश्रमिक हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 148 और अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नियुक्त किये गए कॉस्ट ऑडिटर को देय पारिश्रमिक की पुष्टिकरण।

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 102 के व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी को लागत लेखाकार द्वारा अधिनियम की धारा 148, कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 (''नियम'') के साथ पढ़ा, के तहत व्यवहार में लागत लेखाकार द्वारा संचालित लेखा परीक्षा की आवश्यकता है।

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की ऑडिट करने के लिए लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक को मंजूरी दी है।

कंपनी अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों, के साथ पढ़े गए कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर) नियम, 2014 के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। इसके अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए एजेंडा नोट में निर्धारित एक साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी जाती है।

कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशकों ने सदस्यों के अनुमोदन के लिए उपरोक्त संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अनुशंसित किया।

बोर्ड के आदेशानुसार

(अभय कुमार कंठ)
कम्पनी सचिव

दिनांक : 24.11.2020

नोट :

(1) वर्तमान कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') ने 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पढ़े गए अपने परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप में ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में जाना जाता है।'') ने एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (''एजीएम ''या'' बैठक'') की अनुमति दी। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के एजीएम को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं।

(2) उपरोक्त एमसीए परिपत्र के अनुसार, प्रॉक्सी नियुक्ती की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार इस बैठक के लिए प्रॉक्सी नियुक्ती की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

निदेशकीय प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारकों
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

देवियों एवं सज्जनों,

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने 61 साल पूरे कर लिए हैं और कंपनी के निदेशक मंडल को आपके समक्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तिय वर्ष की 61वीं वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित लेखा के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. प्रदर्शन के मुख्य बिन्दु :

वित्त वर्ष 2019-20 में, कंपनी ने रिकॉर्ड ऑर्डर प्राप्त किया (पिछले आठ वर्षों में सबसे अधिक), कुल 1013 करोड़ रूपये के आसपास। मुख्य रूप से आकांक्षा के लिए विशेष फोर्जिंग, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए फैब्रिकेटेड स्टील, आरआईएनएल (विजाग) में टर्नकी परियोजनाएं और इसरो के लिए भारी निर्माण शामिल हैं। एचईसी की अभी तक की एक और उपलब्धि स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोलिक उत्खनन EARTH 5.0 का सफल प्रक्षेपण है।

हालांकि, दूसरी ओर, लंबे समय से लंबित अपग्रेडेशन / आधुनिकीकरण योजना के साथ-साथ कार्यशील पूंजी के गंभीर तनाव ने कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला एवं ऐसे में 132.68 करोड़ रूपये का कारोबार पिछले वर्ष के दौरान 356.21 के कारोबार के खिलाफ हासिल किया गया। वृद्धावस्था मशीनरी के बार-बार टूटने से ऑर्डर के निष्पादन पर असर पड़ता है, जबकि यह अप्रत्यक्ष रूप से नकदी प्रवाह चक्र को भी प्रभावित करता है। कंपनी ने कुछ महत्वपूर्ण मशीनरी के रखरखाव के लिए प्रगति की है, जिसके प्रभाव भविष्य के वर्षों में दिखाई देंगे।

2. उत्पादन एवं बिक्री

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के लिए उत्पादन एवं कारोबार के आंकड़े एवं एम.ओ.यू. लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रु. में)

	2019-20		2018-19	
विवरण	एम.ओ.यू.	वास्तविक	एम.ओ.यू.	वास्तविक
कारोबार	600.02	132.68	618.01	356.21
उत्पादन	559.32	158.29	628.20	340.22

भले ही देश में 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन आपकी कंपनी के संचालन पर प्रभाव सामग्री आपूर्ति में व्यवधान के कारण बहुत पहले महसूस किया जा रहा था। इसके अलावा, फरवरी के अंत से शुरू होने वाली 6 दिन की हड़ताल ने चौथी तिमाही के प्रदर्शन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला।

3. वित्तीय परिणाम

लक्ष्य और पिछले वर्ष की तुलना में उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	एमओयू	वास्तविक	एमओयू	वास्तविक
सकल मुनाफा	-19.92	-363.89	-41.99	-220.36
ब्याज	24.11	24.24	28.48	27.72
मूल्यह्रास	8.28	7.34	7.92	6.87
आपवादिक मद व्यय(+)/आय(-)	0.00	9.90	0.00	1.29
असाधारण मद से पूर्व मुनाफा	-52.30	-405.37	-78.39	-256.24
असाधारण मद आय(+)/ व्यय(-)	0.00	0.00	0.00	162.57
कर पूर्व मुनाफा	-52.30	-405.37	-78.39	-93.67
कर	0.00	0.00	0.00	
शुद्ध लाभ	-52.30	-405.37	-78.39	-93.67
नकद लाभ (असाधारण मदो के बाद)	-52.30	-405.37	-70.47	-249.37

31.03.2020 को कंपनी की प्रदत्त पूंजी 606.07 करोड़ रुपये था, जबकि नेट वर्थ रु. (-) 400.73 करोड़ पर पहुँचा।

वर्ष के दौरान कंपनी ने केन्द्र और राज्य कोष को 18.59 करोड़ रुपये का योगदान किया जबकि पिछले वर्ष यह 21.26 करोड़ रुपये था।

वर्ष 2008-09 के बाद से कारोबार, उत्पादन, कर्मचारी उत्पादकता एवं लाभ का विवरण निम्नवत है। :

वर्ष	कुल करोबार (करोड़ रु.)	उत्पादन (करोड़ रु.)	प्रति कर्मचारी कारोबार (लाख रु.)	शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)
2008-09	417.39	419.47	14.55	18.37
2009-10	496.56	537.72	17.30	44.27
2010-11	640.90	700.55	23.14	38.14
2011-12	681.61	687.74	28.35	8.58
2012-13	682.83	676.77	28.58	20.38
2013-14	384.02	447.71	18.88	299.31
2014-15	361.58	319.58	20.61	(-) 241.68
2015-16	374.48	340.68	24.19	(-) 144.77
2016-17	390.11	364.84	26.81	(-) 82.27
2017-18	399.02	393.37	28.29	446.00
2018-19	356.21	340.22	23.42	-93.67
2019-20	132.68	158.29	9.92	-405.37

लाभांश की गैर घोषणा

वित्तिय वर्ष 2019-20 के दौरान कर पश्चात लाभ (-)405. 37 करोड़ रूपये है एवं दिनांक 31.03.2020 को नेटवर्थ (-)400.73 करोड़ रू. है। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंध ान विभाग, वित्त मंत्रालय के द्वारा ओ.एम. नं. 5.2.2016 नीति दिनांक 27.05.2016 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशानुसार केंन्द्रीय लोक उपक्रमों को कर पश्चात लाभ का 30% या नेटवर्थ का 5% जो भी उच्च है, का भुगतान करना होता है। तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी लाभांश भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है।

4. विपणन गतिविधियाँ :

वर्ष के दौरान एचईसी 1013.47 करोड़ रूपये की ऑर्डर बुकिंग प्राप्त किया गया। जबकि इसका वार्षिक लक्ष्य 650 करोड़ रूपये था। यह ऑर्डर बुकिंग पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है।

- आकांक्षा बी 11 प्रोजेक्ट के लिए बुक किए गए प्रतिष्ठित ऑर्डर की कीमत 436 करोड़ रूपये है। जो एचईसी की रक्षा के लिए विशेष फोर्जिंग निर्माण की आला क्षमता को इंगित करता है।
- अपनी अतिरिक्त निर्माण क्षमता का लाभ उठाने के लिए, HEC ने Flue Gas Desulphurization परियोजनाओं में निर्माण के लिए प्रयास किया और कड़ी प्रतिस्पर्धा में भेल के खिलाफ, लगभग 180 करोड़ रूपये मूल्य के आदेशों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके।
- इस्पात और खनन क्षेत्र में टर्नकी परियोजनाओं के आदेशों के लिए HEC मर रहा है और इस वर्ष HEC RINL, विजाग से दो ऑर्डर सुरक्षित किया जो 250 करोड़ रूपये का है। परियोजनाएं इस प्रकार हैं: "सिंटर मशीन - 1 और 2 का पुनरूद्धार और उन्नयन" और दूसरा आयरन ओर स्टोरेज ऑग्मेंटेशन (IOSA) के लिए कन्वेयर और संबद्ध उपकरण, पुनरावर्ती धारा और पांचवां अयस्क और फ्लो स्टैकिंग स्ट्रीम ऑफ़ रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट (RMHP))"
- एचईसी को भारी मशीन टूल्स की 3 नग के लिए ऑर्डर मिला। सरफेस व्हील लैथ की कीमत 6.26 करोड़ रूपये, एक्सल जर्नल टर्निंग एंड बर्निंग मशीन (AJTB) की कीमत 1.83 करोड़ रूपये है। नेल्को से COFMOW और दूसरा सर्फेस व्हील लेथ से।
- एयरोस्पेस क्षेत्र में, एचईसी ने व्हील बोगी सिस्टम और 200 टी के इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवर्सिंग क्रेन के लिए आदेश दिए, दोनों इसरो, श्रीहरिकोटा में स्थापित जमीनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए।
- इस्पात और खनन क्षेत्रों में आयात-विकल्प आइटमः मुख्य क्षेत्र में आयात-प्रतिस्थापन के अपने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करते हुए, इस वर्ष भी एचईसी 55 करोड़ रूपये के ऑर्डर पाया है। ड्रैगलाइन स्पेयर्स, जाली रोल्स, खोखले दस्ता, बेल रॉड और हॉपर के लिए।
- जहाज निर्माण में आवेदन के लिए एचईसी ने एंकर कैपस्तान, बुल रिंग कास्टिंग और एंकर हॉस पाइप लिप कास्टिंग के लिए नए आदेश प्राप्त किए। अभी तक एक और उपलब्धि, एचईसी ने मेटालिक रैंप को विकसित करने के लिए, 112 इंजीनियरिंग रेजिमेंट, रांची की भागीदारी की।
- स्वदेशी विकासः Sept'2019 में, एचईसी सफलतापूर्वक हाइड्रोलिक उत्खनन EARTH 5.0 के स्वदेशी विकास की दिशा में अपनी यात्रा का समापन कर सकता है। अत्याधुनिक हाइड्रोलिक खुदाई EARTH 5.0 को इष्टतम ईंधन की खपत, उच्च मशीन की उपलब्धता, रखरखाव में आसानी और तेजी से चक्र समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित अग्रिम हाइड्रोलिक प्रणाली को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हाथ में

- 31.3.2020 पर बकाया ऑर्डर बुक में ऑर्डर रू। 1268.34 करोड़।

व्यावसायिक विकास की पहल:

अन्य संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां एचईसी की सुविधाओं का उपयोग **'मेक इन इंडिया'** कार्यक्रम के अनुरूप स्वदेशीकरण के लिए किया जा सकता है।

एचईसी रक्षा और सामरिक क्षेत्र में बख्तरबंद वाहनों और अन्य आवश्यकताओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति की विभिन्न कंपनियों के साथ चर्चा कर रहा है।

5. परियोजना गतिविधियाँ

वर्तमान में चार सक्रिय परियोजनाएं चल रही हैं।

Pkg.-062 भिलाई इस्पात संयंत्र में (कोल हैंडलिंग प्लांट की स्थापना): वाणिज्यिक संचालन के तहत परियोजनाओं के विभिन्न हिस्सों के लिए चार प्रारंभिक स्वीकृति प्रमाण पत्र (PAC) पहले प्राप्त हुए थे। शेष भाग का पीएसी दिसंबर 2019 में प्राप्त हुआ और परियोजना को फरवरी, 2020 में सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। (फरवरी 20 में प्राप्त कुल परियोजना का प्रमाण पत्र।)।

MIOM (मेघाटबुरू आयरन ओर माइंस, सेल में तृतीयक कोल्हू की स्थापना): नागरिक संरचना और उपकरणों के निर्माण से संबंधित कार्य पूरा हो गया है। आयोजित किए गए सभी उपकरणों के व्यक्तियों और एकीकृत परीक्षण रन। बाईपास सर्किट को लोड पर परीक्षण किया गया और दिसंबर 2019 के महीने में सौंप दिया गया और यह 24.02. 20 से वाणिज्यिक संचालन के तहत है। फरवरी, 2020 में ग्राहक के प्रतिनिधियों को प्रदर्शित की गई पूरी परियोजना का पूर्ण भार परीक्षण। पीएसी की प्रतीक्षा है।

KSL उत्तरी कोलफील्ड्स लिमिटेड (CIL) में (कृष्णशिला कोल हैंडलिंग प्लांट): सिविल वर्क और मैकेनिकल इक्विपमेंट इरेक्शन का काम पूरा हो चुका है। 18.12.19 को DGMS की स्वीकृति प्राप्त हुई। उपकरणों का व्यक्तिगत परीक्षण किया जा रहा है। क्रशर, एप्रॉन फीडर और 14 में से 9 कन्वेयर का टेस्ट रन पूरा हो चुका है।

MADHUBAND भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (CIL) मेंवाशरी: कन्वेयर गैलरियों, सिलोस, रिसीविंग पिट, स्लम तालाब, डिट्रेनर्स, वाशरी बिल्डिंग के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल कार्य पूरा हुआ। वाशरी बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग में उपकरण निर्माण जारी है।

वर्ष 2019-20 के दौरान बिक्री का कारोबार नीचे दिया गया है :

एसएल। नंबर	प्रोजेक्ट्स	लाख में मूल्य
1.	बीएसपी, Pkg। 062	1637.23
2.	BSP, Pkg। 060	19.15
3.	केएसएल सीएचपी/एनसीएल	387.28
4.	एमआईओएम/आरएमडी सेल	87.28
5.	मधुबन्द कोल वाशरी/ बीसीसीएल	1457.54
	कुल	3588.48

विजाग स्टील प्लांट से प्राप्त दो नई परियोजनाओं के लिए आदेश।

- SM-1 और 2 के उन्नयन के लिए कच्चा माल तैयार करने के क्षेत्र का विस्तार
- लौह अयस्क भंडारण संवर्धन परियोजना (IOSA) परियोजनाओं का मूल डिजाइन पूरा हुआ।
- टर्नकी परियोजनाओं का सफल निष्पादनः बीएसपी, भिलाई में नया अयस्क हैंडलिंग प्लांट (Pkg 62) सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और इस अवधि के दौरान, HEC ने परियोजना के कमीशन सर्टिफिकेट जारी करने की उपलब्धि हासिल की।

6. एम.एस.एम.ई. से खरीद

कम्पनी एमएसएमई, एनएसआइसी एवं एसएसआई फर्म से खरीद पर जोर देनी है। इस वर्ष के दौरान 4585.80 लाख की खरीद हुई है।

7. सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण

हमेशा की तरह, आपकी कंपनी, पेशेवर सुरक्षा और कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्व देती है। कर्मचारियों के बीच सुरक्षा चेतना को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैधानिक नियमों के अनुसार नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैधानिक नियमों के अनुसार नियमित रूप से संपूर्ण चिकित्सा जांच संचालित किए जाते हैं। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण जैसे हाथ के दस्ताने, चश्मे, सुरक्षात्मक कपड़े, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जूते आदि दिए जाते हैं। कंपनी पर्यावरण प्रदूषण से समझौता नहीं करती

है इसलिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीचे वर्णित सभी सावधानियां करती जाती है।

1. सुरक्षा प्रमुख संकेतक (खतरों को पहचान, असुरक्षित स्थिति एवं निकटस्मरण) एवं मुख्य अंतराल संकेतक (जैसे काम करते समय उपकरण के सुरक्षा का उल्लंघन) की पहचान करने के लिए शाप फ्लोर का दैनिक निरक्षण।
2. क्लास रूम प्रशिक्षण के साथ-साथ शाप फ्लार पर भी TWI एवं टूल बाक्स के प्रशिक्षण के अन्तर्गत कोई विषयों का टॉक है।

स्लीप, ट्रीप एवं फाल	J.S.P. (जैसे और जब आवश्यक हो)
HMI (कार्य का आदेश)	RCA (दुर्घटना विश्लेषण के मुल कारण)
ऊँचाई पर काम	व्यक्तिगत सुरक्षा
संयंत्र के अंदर सड़क सुरक्षा	PPES का प्रयोग

3. कारखानों के निरीक्षण, राँची, झारखण्ड को दुर्घटना की रिपोर्टिंग एवं दुर्घटना से बचने हेतु रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए मूल कारण विश्लेषण की जाँच।
4. सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए त्रैमासिक ''प्लांट सेफ्टी कमेटी'' का संचालन, यह एक ऐसा मंच है जहां कर्मी एवं प्रबंधन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं एवं समाधान में सहयोग कर सकते हैं।
5. वर्तमान स्थिति एवं खतरों की पहचान हेतु प्रबंधन योजना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का ऑडिट किया जा रहा है ताकि निवारक एवं सुधारात्मक आय किया जा सके।

स्वाथ्य एवं पर्यावरण

क) श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण, नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए कारखाना अधिनियम के अनुसार वैधानिक प्रावधान का पालन।

ख) परिवेशी वायु एवं ढेर की गुणवत्ता की निगरानी।

ग) दैनिक आधार पर ए.बी. एवं सी नालियों के माध्यम से निकली पानी की गुणवत्ता की निगरानी।

घ) एचईसी के क्षेत्र को हरा भरा रखने एवं प्रदूषण को कम करने के लिए वन विभाग की मदद से नियमित रूप से वृक्षारोपण गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

ङ) स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमों के तहत कई स्वास्थ्य एवं पर्यावरण गतिविधियों को कवर किया जा रहा है।

च) वायु एवं जलप्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए TSPCB द्वारा ही गई शर्त को लागू करना।

छ) प्रदूषकों के लिए नियमित रूप से पानी के प्रवाह के नमूनों का परीक्षण, जिसके आधार पर अंतर्देशिय निकाय में पानी के निर्वहन के लिए सहमती प्रदान की जाती है।

- **कम्बाइण्ड इफल्यूंट ट्रिटमेंट प्लांट** को FFP प्लांट में फेनोल वाटर एवं नाली द्वारा प्लांट के बाहर निकलने वाले पानी जो प्रोड्यूसर गैस प्लांट से निष्काशित होता है का लिक्विड प्रवाह प्रोड्यूसर गैस प्लांट से निष्काशित अन्य लिक्विड प्रवाह के सफाई के लिए लगाया गया है। उसी पर प्लांट इस दूषित पानी को फिर से शुद्ध पानी में परिवर्तित कर प्रदान करेगा।

8. कार्यबल की स्थिति

31 मार्च 2020 को कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 1421 है जबकि 31 मार्च 2019 को यह 1502 थी। वर्ष के 2019-20 में कंपनी में 19 अधिकारियों एवं 04 नियमित कर्मी (टेक्निकल) को नियुक्त किया है।

9. औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, औद्योगिक संबंधों का माहौल आमतौर पर सामान्य रहा।

2017 पेरिविजन के क्रियान्वयन के मांग हेतु 26.02.2020 से 03.03.2020 (6 दिनों) तक एक हड़ताल हुआ था। कार्य पुनः 04.03.2020 से शुरू हुआ।

10. कर्मचारी कल्याण

स्थायी कर्मचारियों के लिए कंपनी के पास अपना टाउनशिप, प्लांट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी है। ठेका श्रमिकों को ईएसआई योजना के तहत चिकित्सा लाभ दिया जाता है जिसके लिए कंपनी द्वारा सदस्यता शुल्क संबंधित ठेकेदारों को दिया जाता है। एचईसी वेलनेस केन्द्र/ मेडिकल डिविजन में एवं अवलोकन कि सुविधा ओपीडी के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराया जाता है। कंपनी, अक्टूबर 2019 से सारे कर्मचारीयों एवं उनके परिवारवालों के लिए स्वास्थ शिक्षा सुविधा का कवरेज शुरू की है।

11. मानव संसाधन विकास

कंपनी मानव संसाधन विकास को अत्यधिक महत्व देती है। प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से सक्षमता विकास पर जोर दिया गया। फ्रॉग टेक्नोलॉजी, टाइम एंड

स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीडीएस पर जागरूकता कार्यक्रम, शॉप फ्लोर में रखरखाव की अवधारणा, सुरक्षा और स्वस्थ सुधार, सतर्कता जागरूकता, कार्यस्थल पर लिंग समानता आदि।

HEC Technical Institute (HTI) कंपनी द्वारा चलाया जाता है जहाँ छात्रों को 2 साल की शिक्षा प्रदान की जाती है/ तकनीकी पाठ्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण/ITI/डिप्लोमा/ डिग्री धारकों को 1 वर्ष का अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण दिया जाता है। कंपनी स्थानीय/आदिवासी छात्राओं के लिए एचईसी वेलनेस सेंटर में जीएनएम कोर्स भी चला रही है।

12. एचइसी में अपरेंटिस एक्ट 1961 (समय–समय पर संशोधित) के तहत निम्नलिखित योजनाओं लागू हो रहे हैं।

1. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीस)
2. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीस)
3. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)

उपर्युक्त योजनाओं में डिग्री, डिप्लोमा, आई.टी.आई. और मैट्रिक अहर्ता प्राप्त उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों/व्यापारों में कक्षा/कार्यशाला/इन-प्लांट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं के तहत पदो की संख्या है :

सीटीएस	159
एटीएस	181
एनटीएस	135
कुल	**475**

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम एचईसी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किए जा रहे है। उपर्युक्त संख्या उस अधिनियम की आवश्यकता का अनुपालन करती है। हालांकि अधिनियम/योजनाओं के प्रावधानों में कोई भी संवर्धन हमेशा हमारे द्वारा लागू की जायेगी।

उपर्युक्त के अलावे अन्य प्रशिक्षणों (कार्य/नौकरी प्रशिक्षण के साथ-साथ) कौशल विकास मिशन प्रेरणा के साथ आयोजित किए जा रहे है।

13. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की स्थिति

i. 31.03.2020 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 313 और 316 थी।

ii. कुल कर्मचारियों की तुलना में एससी तथा एसटी कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 22.02% और 22.23% था।

iii. वर्ष 2019–2020 के दौरान की गई 15 नियुक्तियों में से, 04 उम्मीदवार एससी और 04 उम्मीदवार एसटी समुदाय के थे।

14. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा विभाग भारत सरकार के निर्देशों के तहत आपकी पूरी कंपनी में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को व्यापक कार्यान्वयन के लिए एक आवश्यक प्रयास के रूप में बढावा देता है।

वर्ष के दौरान आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में कंपनी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए।

- कर्मचारियों को एक व्यावहारिक भाषा के रूप में हिन्दी भाषा में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित तथा प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में, सर्कुलर या तो हिन्दी भाषा में जारी किए गए या फिर द्विभाषीक।
- हिन्दी भाषा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/समारोहों का आयोजन हिन्दी में किया गया।

राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे निबंध लेखन, भाषण, कविताएं, नोट करना, मसौदा तैयार करना, टाइपिंग के साथ ही हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा शील्ड आदि का आयोजन किया गया। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिया गया।

15. एचईसी दिवस उत्सव

एचइसी दिवस 15 नवम्बर को पूरे धूम-धाम से मनाया गया। एचइसी के पुनर्स्थापना के लिए जुलुस सी.एम. डी., एचइसी के नेतृत्व में विधान सभा से मैत्री मार्ग तक आयोजित किया गया था एवं जुलुस में बड़ी संख्या में कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, (पति/पत्नी), परिवार, अनुबंध कर्मचारी, महिला समिति के सदस्य एचइसी के यूनियन नेता, एचइसी परिसर के स्थिति विद्यालयों के विद्यार्थी एवं कर्मचारी ने भाग लिया था।

16. विश्व पर्यावरण दिवस उत्सव

5 जून 2019 को 46वें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एचएमबीपी, एफएफपी, एचएमटीपी, एचइसी प्रशिक्षण संस्थान, एचइसी प्लांट अस्पताल और टाउनशीप में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया जहाँ सीएमडी, प्लांट मुख्य एवं अन्य कर्मचारियों ने पौधे लगा कर एचइसी पर्यावरण में हरियाली बढ़ायी।

17. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस/सप्ताह मनाया गया

21 जून 2019 को, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया, श्री जगन्नाथ एचईसी मैदान, एचईसी टाउनशिप में, जहाँ रांची के बड़ी संख्या में हमारे 50 कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2019 को जगन्नाथपुर क्लब, सेक्टर-III, एचईसी में मनाया गया। इसके अलावा, योग सत्र 06.06.2019 से 20.06.2019 तक आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए।

18. स्वच्छ भारत मिशन

एचईसी में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए, स्वच्छता अभियान समय-समय पर यानी 16.08.2019 से 31.08.2019 (स्वच्छ पखवाड़ा) और 11.09.2019 से 02.10.2019 तक (विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान) चलाया जा रहा था। एचईसी के डिवीजनों और एचईसी टाउनशिप में, स्कूलों और आस-पास के गांवों में सभी कर्मचारी/अनुबंध कर्मचारी/छात्र/सामान्य लोग शामिल हैं। इस गतिविधि के तहत एचईसी द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए थे :-

स्वच्छ भारत की शपथ सभी कर्मचारियों/संविदा कर्मियों द्वारा ली गई। वे सभी स्वयं अपने कार्य स्थानों और आस-पास के क्षेत्रों की सफाई कर रहे हैं।

संयंत्र स्तर पर, अंतर-दुकान/विभाग। स्वच्छता के रखरखाव के लिए सर्वश्रेष्ठ दुकान पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। समारोह में प्रस्तुत किए गए कार्यात्मक निदेशकों द्वारा गांधी जयंती पर इस अभियान से संबंधित पुरस्कार दिए गए।

पौधों और अन्य प्रभागों में पड़ी अप्रचलित/अप्रचलित वस्तुओं की पहचान और निपटान के लिए कार्रवाई हुई है।

पौधों में सामग्री/वस्तुओं पर नाम बोर्ड लगाने के लिए ड्राइव की गई।

निपटान/अपशिष्ट डिब्बे को दुकानें, मुख्यालय और प्लांट अस्पताल में रखा गया है। प्रत्येक दुकान, मुख्यालय और वेलनेस सेंटर में दो प्रकार के कचरे के डिब्बे- एक बायोडिग्रेडेबल के लिए और दूसरा गैर-बायोडिग्रेडेबल के लिए उचित रंग और उस पर लिखे गए निर्देशों के साथ रखा गया है।

इन अभियान में, सार्वजनिक पता प्रणाली और बैनरों से सुसज्जित एक वाहन एचईसी टाउनशिप में और उसके आसपास स्थानांतरित हो गया था जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर स्वच्छता के बारे में संदेश जनता को दिया गया है। कर्मचारियों और टाउनशिप के निवासियों और आसपास के गांवों/बस्तियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक भी किए गए। इसके अलावा कारखानों (संयंत्रों) के कर्मचारियों, दिव्यांगों और बस्ती के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को उनके कार्यस्थल, दुकानों के आसपास और उनके भवनों के परिसर को साफ करने के लिए जुटाया गया था।

स्वछता दौड और साइकिल यात्रा का भी आयोजन किया गया था।

एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त संगठन के संबंध में कार्रवाई की गई।

कर्मचारियों/संविदा कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने स्किट, कविता, नारे और पेंटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया और स्वछता मिशन के तहत अनुकरणीय कार्य करने वालों को कार्यात्मक निदेशकों द्वारा सम्मानित किया गया गांधी जयंती -2019 पर।

19. राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का प्रेक्षण

राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 से 18 फरवरी 2019 तक मनाया गया था। इसी दौरान उत्पादकता सुधार समिति को वर्ष (2019-20) के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु संयंत्र स्तर पर स्थापित किया गया था।

आगे, इस सप्ताह के दौरान निबंध, चित्रकला एवं नारा प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न प्लांट विभागों में किया गया था।

20. मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर और नेत्र शिविर

एचईसी प्लांट हास्पिटल द्वारा समय-समय पर निकटवर्ती ग्रामीणों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच स्वास्थ्य में सुधार के लिए एचईसी एवं एचईसी के आसपास निःशुल्क चिकित्सा स्वस्थय शिविर का आयोजन किया गया है।

21. वृक्षारोपण अभियान

एचएमबीपी, एफएफपी, एचएमटीपी, एचईसी प्रशिक्षण केंद्र, एचईसी प्लांट हॉस्पिटल और टाउनशिप में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया जहां सीएमडी, डायरेक्टर्स, प्लांट हेड तथा अन्य कर्मचारियों ने पौधे लगाए और एचईसी के हरित वातावरण में और हरियाली बढ़ाने में योगदान दिया।

22. ऑनलाइन वार्षिक प्रदर्शन

कार्यालयों को पेपरलेस बनाने के लिए वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट एवं वार्षिक सम्पती विवरण विकसित किया गया है।

23. COVID-19 के प्रसार के कारण भारत सरकार ने इसे एक महामारी घोषित किया है और समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका हमारी कंपनी में कड़ाई से पालन किया गया है। आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं जैसे कि बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, चिकित्सा सेवाएं, टाउनशिप क्लीनिंग, आदि हमारे कर्मचारियों द्वारा उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सभी एहतियाती उपायों के साथ बनाए रखी गई थीं, जैसे कि चेहरे के मास्क पहनना, हाथ से सफाई करने वालों का उपयोग करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। अन्य सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन भी किया गया।

24. इलेक्ट्रिकल वाहन का उपयोग

इलेक्ट्रिकल कार के प्रयोग के लिए EESL और HEC के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है। वर्तमान में 16 इलेक्ट्रिक कार एचईसी द्वारा प्रयोग में है।

25. सहायक उद्योगों और लघु उद्योग इकाइयों का विकास

अपने सामाजिक दायित्व के एक हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने रोजगार के साथ ही व्यक्तिगत उद्यमशीलता के अवसरों के सृजन हेतु रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मदद से तुपुदाना के समीप एक सहायक क्षेत्र का विकास किया है।

आपसी सहयोग तथा एचईसी के विकास के अनुरूप नए क्षेत्रों में प्रवेश की विभिन्न गुंजाइशों का पता लगाने के लिए लघु उद्योग इकाइयों (एसएसआई यूनिट्स) के साथ नियमित रूप से बातचीत का आयोजन किया गया।

26. कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही

खराब वित्तीय हालात के बावजूद कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों को जारी रखा जैसे (1) नर्सिंग स्कूल का संचालन (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन और (3) अपने वेलनेस केन्द्र के सहयोग से चिकित्सा शिविरों का आयोजन।

- सामुदायिक स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम ''आपके घर के पास अस्पताल'' की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत सीनियर नर्सिंग स्टाफ तथा चिकित्सों ने एचईसी टाउनशिप के सैटेलाइट गांव में घर-घर का दौरा किया और ग्रामीणों को स्वास्थ्य जागरुकता संबंधी सुझाव दिए, खासतौर पर महिलाओं को और जरूरत के अनुसार उन्हें उपलब्ध दवाइयां प्रदान की गई। जिन गांवों का दौरा किया गया उनके नाम हैं : जगन्नाथपुर, कुटे, तिरिल, नयासराय, पुदांग, सिथिया, हटिया, तुपुदाना, डुंगरी, टोंको, सतरंजी, बाल्सरिंग, बरमाड और जोजोसरिंग (14 गांव)।

27. सतर्कता गतिविधियाँ :

एचइसी, मुख्यालय का सतर्कता संगठन का समग्र प्रशासनिक एवं कार्यात्मक नियंत्रण मुख्य सतर्कता अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) द्वारा संचालित रहा है। सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता के मामले में चौकस करने हेतु समय-समय पर औचक निरिक्षण किया जाता है।

पारदर्शी एवं निष्पक्ष कार्यप्रणाली के लिए कर्मचारियों के बीच में केन्द्रिय सतर्कता आयोग के विभिन्न दिशा-निर्देश/ प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण के माध्यम से अनुशासनिक जाँच प्रक्रिया एवं भ्रष्टाचार निवारण में उनकी भूमिका बताकर जागरूकता पैदा कि गई।

सतर्कता अधिकारियों ने एचइसी के वरीय कार्यपालकों/ कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त कार्य एवं कार्य में पारदर्शिता लाने एवं सकरात्मक सोच में विकास के लिए पारस्परिक वार्तायें की है। वर्ष के दौरान बहुत शिकायत प्राप्त हुए एवं उनकी जाँच तथा उचित कारवाई की अनुशंषा कि गई।

समय पर शिकायत एवं जाँच के निष्पादन के प्रयास किया गया है, इसके अलावे अधिकरियों द्वारा दर्ज किए गए वार्षिक सम्पत्ती ब्यौरा की जाँच किया गया था।

एक पत्रिका ''स्पार्क-VIII'' जिसमें सी.वी.सी. के नवीनतम दिशानिर्देशों एवं अन्य विजिलेंस संबंधी आलेखों से समाहित तैयार किया गया और इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के अवसर पर निगम के सभी अधिकारियों के बीच वितरित किया गया। कम्पनी के बेबसाइट पर विजिलेंस पोर्टल नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

सीवीसी दिशानिर्देश के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

कर्मचारियों के बीच सतर्कता संबंधित जागरूकता में वृद्धी लाने के लिए निबंध। क्विज प्रतियोगिता आयोजित किया गया।

28. आरटीआई अधिनियम के तहत अनुरोध/अपील का निपटान:

कंपनी पारदर्शिता पर जोर देती है और समय पर मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत करने को प्राथमिकता दी गई है।

29. कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (आंतरिक शिकायत समिति)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधानों के दिशा निर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए मई, 2019 में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का पुनर्गठन किया गया।

30. गुणवत्ता का आश्वासन

आपकी कंपनी कभी भी निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करती है। कंपनी अपने ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए अपने उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सभी उपाय करती है, इसे ध्यान में रखते हुए तीन संयंत्रों (प्लांट्स) के लिए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को केंद्रीकृत कर दिया गया है। प्रासंगिक भारतीय मानकों एवं आई.एस.ओ. 9001:2015 के अनुसार उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों को बरकरार रखा जा रहा है।

31. एनर्जी ऑडिट (ऊर्जा अंकेक्षण) :

अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 के दौरान वर्ष 2019 में इइएसएल के माध्यम से एफआइसीआइ द्वारा एचईसी की लेखा परीक्षा की गई है।

32. अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी समावेश, अनुकूलन तथा नवोन्वेशन : ऊर्जा संरक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत, कंपनियों के आर एंड डी, तकनीकी समावेश, अनुकूलन और नवोन्वेशन के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण के संबंध में आवश्यक ब्यौरो को **अनुलग्नक - अ** में प्रस्तुत किया गया है।

33. निदेशकों का जिम्मेदारी वक्तव्य

अ. वार्षिक लेखा की तैयारी में, माल को भेजने के संबंध में लागू लेखा मानकों का उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया।

ब. निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय और अनुमान लगाये जो उचित और विवेकपूर्ण हो ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी को हुए लाभ और हानि के प्रति निष्पक्ष राय दी जा सके।

स. निदेशक मंडल ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों (अकाउटिंग रिकॉर्डस) के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त उपाय किए थे।

घ. निदेशकों ने विकासमान करोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया था; और

ड. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली (सिस्टम) तैयार किया था और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

34. विदेशी विनिमय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 5.48 करोड़ रुपए था।

35. कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगम संचालन)

कंपनी कार्पोरेट प्रशासन के न्युनतम मानकों को बनाए रखने एवं कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस आवश्कता का पालन हेतु प्रतिबद्ध है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट **अनुलग्नक-ब** में दिया गया है।

36. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषक रिर्पोट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिर्पोट **अनुलग्नक-स** में दिया गया है।

37. वैधानिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक का नियुक्ती किया जाता है।

38. सी ऐंड एजी और सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी और उसपर प्रबंधन का जवाब

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत कंपनी के खातों पर सी ऐंड एजी की टिप्पणी, सी ऐंड एजी और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी कंपनी के खातों की समीक्षा के साथ प्रबंधन के उत्तर के साथ-साथ टिप्पणियों को **'अनुलग्नक-द'** में दर्शाया गया है।

39. वार्षिक विवरण का उद्यतन (MGT-9)

कम्पनी अधिनियम 2013 के द्वारा 92 के तहत वित्तिय वर्ष समाप्ती 31 मार्च 2020 के लिए वार्षिक विवरण का अद्यत्तन (फार्म MGT-9) **एनेक्सर-ई** पर है।

40. निदेशक मंडल

एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, एचईसी लिमिटेड के सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत

के राष्ट्रपति द्वारा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, एचईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, (i) पूर्णकालिक सह निदेशक (पूर्ण समय निदेशक) जिसमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और चार कार्यात्मक निदेशक (ii) सरकारी निदेशक, दो सरकारी नामित सरकारी निदेशकों शामिल करते हैं; और (iii) गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक। चार स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हैं।

31 मार्च, 2020 तक, एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में पांच निदेशक होते हैं, जिन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। (i) कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) और (ii) सरकारी नामित अधिकारी निदेशक। बोर्ड में प्रभारी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), और तीन कार्यात्मक निदेशक अर्थात निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (विपणन) शामिल हैं। (ख) भारत सरकार के एक अधिकारी नामित निदेशक शामिल हैं।

डॉ. नलिन शिंघल, सीएमडी (बीएचईएल) ने एचईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार संभाला और डॉ. राणा एस चक्रवर्ती, निदेशक (विपणन) ने कंपनी के निदेशक (उत्पादन) के पद का प्रभार संभाला।

वर्ष के दौरान, श्री प्रवीण एल अग्रवाल, जेएस/डीएचआई और सरकार के नॉमिनी आधिकारिक निदेशक ने निदेशक पद का भारत सरकार, डीएचआई के आदेश के अनुसार त्याग किया एवं गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) जिनका नाम श्री कृष्ण कुमार सिंह, श्री अर्देंदु शेखर सारंगी, श्री एच एन रामकृष्ण और डॉ. (श्रीमती) तरण कुमारी रॉय का कार्यकाल समाप्त हुआ।

41. अंकेक्षण (लेखा परीक्षा) समिति

बोर्ड ने 28 जून 2019 को आयोजित अपनी 330वीं बैठक में अंकेक्षण समिति का पुनर्गठन किया। समिति में स्वतंत्र निदेशक श्री अरधेन्दू शेखर षाड़ंगी को समिति के अध्यक्ष के रूप में एवं सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्रीमती एन.एस. कुमार, सीसीए/डीएचआई, स्वतंत्र निदेशक, डॉ. (श्रीमती) तारन कुमारी रॉय अंकेक्षण समिति के अन्य सदस्य के रूप में थे।

कंपनी के निदेशक (वित्त) अंकेक्षण समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

श्री ए.एस. सारंगी एवं डॉ. श्रीमती तारन कुमारी राय 26.01.2020 के प्रभाव से निदेशक पद का त्याग किए। वर्तमान में कोई स्वतंत्र निदेशक कंपनी के बोर्ड में नहीं है इसलिए ऑडिट कमिटी नहीं है।

42. व्यवसाय विकास समिति

बोर्ड ने 28 जून 2019 को आयोजित अपनी 330वीं बैठक में नए कारोबारी अवसरों की तलाश करने के लिए एक बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें एचईसी प्रवेश कर सकती है।

श्री एच.एन. रामाकृष्णा समिति के अध्यक्ष के रूप में, समिति में शामिल हैं उनके साथ इसके सदस्य के रूप में सीएमडी/एचईसी, निदेशक (विपणन) एवं श्री अरधेंदु शेखर षाङंगी हैं। श्री के सूत्रधार, चीफ, कॉर्पोरेट मार्केटिंग सदस्य सचिव के रूप में नामित किए गये हैं।

श्री एच.एन. रामाकृष्णा एवं श्री अरधेंदु शेखर सारंगी 26.01.2020 को निदेशक पद से मुक्त हो गये हैं। और इसी प्रभाव में व्यवसाय विकास समिति क्रियाशील नहीं है।

43. अभिस्वीकृति (धन्यवाद ज्ञापन)

बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन का कृतज्ञता से आभार मानता है।

बोर्ड भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का इस कंपनी के पुनरुद्धार में उनके निरंतर समर्थन के लिए विशेष रूप से आभारी है।

बोर्ड झारखण्ड सरकार को कंपनी के कार्यान्वयन कामकाज में उनके हर प्रकार के निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती है।

बोर्ड अपने अभिलेख में अपने सभी हितधारकों से मिले उनके निरंतर सहयोग की सराहना करना चाहती है जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक वित्तीय संस्थान, नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक शामिल हैं।

बोर्ड एचईसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक – अ

अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी ABSORPTION, अनुकूलन, नवाचार और ऊर्जा संरक्षण

वर्ष के दौरान कंपनी के अनुसंधान और विकास की गतिविधियां

2016-17 के दौरान की अवधि में हाइड्रोलिक उत्खनन की उत्पाद अवधारणा की कल्पना की गई थी, को विभिन्न ग्राहक और बाजार सर्वेक्षण के बाद आकार दिया गया था। 2017-18 में किए गए उत्पाद के लिए मूल इंजीनियरिंग डिजाइन। उत्पाद विशिष्ट विशेषताओं को प्रदान करने के लिए कीनेमेटीक्स, हाइड्रोलिक्स और ऑटोमेशन का एकीकरण, जो 2018-19 के दौरान उत्पाद के वाणिज्यिक किनारे को तेज करता है। उत्पाद हाइड्रोलिक खुदाई (सामने फावड़ा मॉडल धरती 5.0) को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और पर 18 का उद्घाटन किया गया सितंबर 2019 है।

HEC द्वारा विकसित अतिरिक्त वैकल्पिक मोर्चा कुर्की लगाव के साथ वापस hoe हाइड्रोलिक खुदाईः

HEC ने भारतीय खनन की स्थिति और संचालन अभ्यास के लिए पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन विकसित किया। परिमित तत्व विश्लेषण ने डिजाइन अनुकूलन में मदद की जिससे बीहड़ संरचनात्मक डिजाइन का विकास हुआ। निर्माण ऑपरेटर और इंजन और हाइड्रोलिक पावर पैक जैसे महत्वपूर्ण घटकों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है।

मशीन 405 किलोवाट के कुशल डीजल इंजन द्वारा संचालित होती है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। इंजन प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) इंजन प्रदर्शन के सभी पहलुओं का पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करती है और हाइड्रोलिक पक्ष पर लोड की आवश्यकता के अनुसार इसका जवाब देती है।

कॉम्पैक्ट CMA (नियंत्रित मीटर स्वचालित) वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम का दिल है। CMA200 एक उन्नत कैन-एनेबल्ड (कंट्रोलर एरिया नेटवर्क) इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक वॉल्व है, जो कि अप्रचलित पैमाइश है, जो बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, and advanced सॉफ्टवेयर कंट्रोल एल्गोरिदम पर प्रेसरएंड स्थिति सेंसर का उपयोग करता है। CMA उप-माइक्रोन हिस्टैरिसीस के साथ उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है, स्पूलपोज़ पर बंद लूप नियंत्रण और दोहराए जाने योग्य प्रदर्शन। सीएमए वाल्व विद्युत प्रणाली (जॉय स्टिक्स और फुट पैडल) द्वारा नियंत्रित होते हैं जो कि कैन प्रोटोकॉल के माध्यम से संचारित होते हैं जिससे हाइड्रोलिक पायलट लाइन समाप्त हो जाती है। यह हाइड्रोलिक सिस्टम को कॉम्पैक्ट बनाता है और रखरखाव की आवश्यकता कम होती है।

कठिन, अत्यधिक अपघर्षक, धमाकेदार बलुआ पत्थर/चट्टान/खनिज में वर्ष भर में 8 घंटे की अवधि (निर्दिष्ट दिनचर्या रखरखाव के साथ) में से प्रत्येक के लिए 3 पारियों की एक प्रणाली के लिए निरंतर खुदाई और लोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया उत्खनन। खुदाई डंपर/ढोना ट्रक/ट्रिपर ट्रक पर लोड करने के लिए उपयुक्त होगी।

खनन

- हाइड्रोलिक मोर्चा फावड़ा 5 CU.M - घर घ में हाइड्रोलिक खुदाई (सामने फावड़ा मॉडल धरती 5.0) को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है औरको 18 का उद्घाटन किया है esigned।वें सितंबर खुदाई के 2019 इसके अलावा परीक्षणआ ईएसओ मानदंडों के अनुसार प्रगति पर है
- इलेक्ट्रिक रस्सी फावड़ा 10 Cu.M: व्यक्तिगत ट्रैक ड्राइव की नई योजना और मौजूदा प्रकार के मॉडल में व्यक्तिगत गियर बॉक्स की व्यवहार्यता का विकास किया जा रहा है।

क्रेन

- इक्वालाइज़र पुली ब्लॉक डिज़ाइन - 40+40 टी आरएसपी क्रेन के लिए रस्सी के साथ पुली की धुरी से मेल करने के लिए इक्वालाइज़र पुली स्विंग डिज़ाइन।

अन्य

- कास्टिंग डिजाइन - एमडीएल एंड जीआरएसई के लिए बुल रिंग कास्टिंग, एंकर हॉसे पाइप आदि को ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार विकसित और डिज़ाइन किया गया है।
- डाई डिजाइन - डाई का निर्माण डिश निर्माण के अंतिम उत्पाद के लिए किया गया है। डाई विनिर्माण के लिए डिजाइन और डिटेल ड्राइंग प्रोजेक्ट बी 11 के लिए जारी किया गया है।

- पीने योग्य धातुई रैंप - भारतीय सेना के लिए 25T क्षमता के आसानी से पोर्टेबल मोबाइल धातु रैंप का निर्माण, विकास और निर्माण में।
- 3 डी डेक - भारतीय सेना के लिए रेल रैक में वाहनों को लोड करने के लिए 3 डी डेक का डिजाइन और विकास।

III **आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं और विनिर्मित वर्ष के दौरान प्रदान**

- ड्रैगलाइन घटकों जैसे पिनियन शाफ्ट (04 नग।), इंटरमीडिएट गियर व्हील (03 नग।), मेन गियर व्हील (02 नग।), वॉक गियर व्हील (01 नं।), सनकी असेंबली और कुछ अन्य घटक रू। 18 करोड़। निर्मित और NCL को आपूर्ति की गई।
- क्रशर के लिए महत्वपूर्ण पुर्जों में मुख्य रूप से Gyratory कोल्हू जैसे कुचल विधानसभा, काउंटर दस्ता विधानसभा, बेवेल गियर और बाउल विधानसभा रूपये हैं। 4.65 करोड़।
- एक अन्य स्टील प्लांट स्पेयरः खोखले दस्ता (01 नं।) मूल्य के लगभग। रू। 1.0 करोड़। बीएसएल, बोकारो (सेल) को निर्मित और आपूर्ति की जाती है।

तृतीय। ऊर्जा संरक्षण

एचईसी में ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं :

- ऊर्जा की बचत के उपायों के कार्यान्वयन को ऊर्जा की बचत के आधार पर ESCO मॉडल EESL के माध्यम से किया गया, जिसके तहत पारंपरिक उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा कुशल उपकरण लगाए गए हैं।
- संपीड़ित वायु प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया गया है।
- कंडेनसर बैंकों की दैनिक निगरानी एपीएफ (औसत पावर फैक्टर) को यथासंभव उच्च बनाए रखने के लिए की गई।
- ऊर्जा संरक्षण चेतना के संबंध में व्यक्तियों की परामर्श।

अनुलग्नक–ब

निगमित शासन पर रिपोर्ट

(31.03.2020 के अनुसार)

निदेशकगण कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित प्रशासन) पर कंपनी की गतिविधियों को प्रस्तुत करते हैं।

1.0 कंपनी का कॉर्पोरेट प्रशासन दर्शन:

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी लिमिटेड) उन सभी के लिए उचित और पारदर्शी व्यावसायिक गतिविधियों में विश्वास करता है, जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे शेयरधारक, ग्राहक, विक्रेता, कर्मचारी, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, सरकार। भारत के मालिक या किसी अन्य क्षमता के रूप में, विभिन्न राज्य सरकारें, अन्य सरकारी एजेंसियां/विभाग और बड़े पैमाने पर समाज। अनिवार्य रूप से एचईसी में अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियों का अभ्यास शामिल है और यह पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रतिबद्धता और उद्यमों के संवर्धन के अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के माध्यम से ईमानदारी और अखंडता में विश्वास करता है।

एचईसी अपने मामलों को एक प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में प्रबंधित करता है जो सभी कानूनों का अनुपालन करता है और अपनी रणनीतियों को निष्पादित करने के लिए प्रबंधन नीतियों/निर्णयों को नियंत्रित करता है। एचईसी ने कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने वरिष्ठ प्रबंधन को जवाबदेह बनाया है।

एचईसी गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस का अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट प्रशासन की भावना को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गठित समितियों के दायरे को बढ़ाया और मजबूत किया है।

2.0 निदेशक मंडल:

निदेशक मंडल हमारे कॉरपोरेट गवर्नेंस अभ्यास और देखरेख के मूल में है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन सभी हितधारकों के हितों की सेवा और सुरक्षा करता है। बोर्ड कंपनी की सभी प्रमुख गतिविधियों की निगरानी सहित रणनीतिक और व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन भी करता है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या न तो दो से कम होगी और न ही पंद्रह से अधिक होगी। एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, एचईसी लिमिटेड के सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचईसी के निदेशक मंडल हैं। निदेशक मंडल को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। (i) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक (संपूर्ण समय निदेशक) जिसमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक और चार कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं (ii) सरकारी निदेशक जिनमें दो सरकारी नामित अधिकारी निदेशक शामिल हैं; और (iii) चार स्वतंत्र निदेशकों (गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक) शामिल हैं।

सभी निदेशकों की नियुक्ति के नियम, शर्तें और कार्यकाल भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा तय किए जाते हैं। निदेशकों को देय पारिश्रमिक/मुआवजा भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और CMD और पूर्णकालिक निदेशकों (संपूर्ण समय निदेशक) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। पार्टटाइम (स्वतंत्र निदेशक) को मीटिंग्स अटेंड करने के लिए सिटिंग फीस दी जाती है।

31 मार्च, 2020 तक, एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में पांच निदेशक होते हैं, जिन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। (i) कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) और (ii) सरकारी नामित अधिकारी निदेशक। बोर्ड में प्रभारी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), और तीन कार्यात्मक निदेशक अर्थात निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (विपणन) शामिल हैं। (ख) भारत सरकार के एक अधिकारी नामित निदेशक शामिल हैं।

डॉ. नलिन शिंघल, सीएमडी (बीएचईएल) ने एचईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार संभाला और डॉ. राणा एस चक्रवर्ती, निदेशक (विपणन) ने कंपनी के निदेशक (उत्पादन) के पद का प्रभार संभाला।

वर्ष के दौरान, श्री प्रवीण एल अग्रवाल, जेएस/डीएचआई और सरकार के नॉमिनी आधिकारिक निदेशक और गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) का कार्यकाल समाप्त हुआ, जिनका नाम श्री कृष्ण कुमार सिंह, श्री अर्धेंदु शेखर सारंगी, श्री एच एन रामकृष्ण और डॉ. (श्रीमती) तरण कुमारी रॉय है जिनका कार्यकाल भारत सरकार, डीएचआई के आदेश के अनुसार पूरा हुआ। वर्तमान में,

एचईसी लिमिटेड के बोर्ड में 31 मार्च, 2020 तक कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की चार रिक्तियां, सरकारी नॉमिनी आधिकारिक निदेशक का एक पद, अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक की एक रिक्ति और निदेशक (उत्पादन) की एक रिक्ति कंपनी के बोर्ड में मौजूद है। इन रिक्तियों को भरने का मामला भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग के पास विचाराधीन है।

2.1 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

i) श्री मृदुल कु. सक्सेना : सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)
निदेशक (कार्मिक) (01.04.2019 से 30.09.2019)

ii) डॉ. नलिन सिंघल : सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)
सीएमडी, भेल (01.10.2019 से 31.03.2020)

2.2 कार्यकारी निदेशकों की सूची

i) श्रीमती अरून्धती पंडा : निदेशक (वित्त)
ii) श्री मृदुल कुमार सक्सेना : निदेशक (कार्मिक)
iii) डॉ. राणा शुभाशीष चक्रवती : निदेशक (विपणन) एवं निदेशक (उत्पादन) (अतिरिक्त प्रभार)

2.3 भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक

i) श्री प्रवीण एल अग्रवाल, जेएस/डिएचआई, निदेशक पद त्याग 28.02.2020
ii) श्रीमती नीलम एस कुमार, सीसीए/डिएचआई

भारत सरकार द्वारा नामित गैर–आधिकारिक (अंशकालिक) निदेशक

i) श्री कृष्णा कुमार सिंह, पद त्याग 16.06.2019
ii) श्री अरधेंदु शेखर षाडंगी, 26.01.2020
iii) श्री एच. एन. रामकृष्णा, 26.01.2020
iv) डॉ (श्रीमती) तारन कुमारी रॉय, 26.01.2020

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में काई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

3.0 बोर्ड की बैठक

बोर्ड की बैठकों का आयोजन रांची स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाता है या ऐसी जगहों में जिसपर प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया हो। कंपनी के सचिव, बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

बोर्ड की बैठकों की संख्या :–

वर्ष 2019-20 के दौरान, छह (5) बैठकें आयोजित की गईं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	तिथि	बोर्ड के सदस्य (स्ट्रेंथ)	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	28.06.2019	08	08
2	26.07.2019	08	08
3	27.09.2019	08	08
4	21.11.2019	09	08
5.	24.02.2020	06	06

बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशकों की उपस्थिति

निदेशकों का नाम	अवधि	आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड मीटिंग में शामिल लोगों की संख्या	अन्य बोर्ड में निदेशक की संख्या
(क) कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक)				
1. डॉ, नलिन सिंघल (पदभार ग्रहण 01.10.2019)	01.10.2019 से 31.03.2020 तक	02	02	01
2. श्रीमती अरून्धती पंडा, निदेशक (वित्त)	01.04.2019 से 31.03.2020 तक	05	05	00
3. श्री मृदुल कुमार सक्सेना, निदेशक (कार्मिक) (सीएमडी, अतिरिक्त प्रभार, 30.9.2019 तक)	01.04.2019 से 31.03.2020 तक	05	05	01
4. डॉ. राणा एस चक्रवर्ती, निदेशक (विपणन)	01.04.2019 से 31.03.2020 तक	05	05	00
(ख) भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक आधिकारिक निदेशक				
श्री प्रवीण एस अग्रवाल (पद त्याग 28.02.2020)	01.04.2019 से 28.02.2020 तक	05	04	03
श्रीमती नीलम एस कुमार	01.04.2019 से 31.03.2020 तक	05	05	05
(ग) अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक				
श्री के. के. सिंह	01.04.2019 से 16.06.2019 तक	00	00	00
श्री ए. एस. षाडंगी	01.04.2019 से 26.01.2020 तक	04	04	00
श्री एच. एन. रामकृष्णा	01.04.2019 से 26.01.2020 तक	04	04	00
डॉ (श्रीमती) तारन कुमारी रॉय	01.04.2019 से 26.01.2020 तक	04	04	00

बोर्ड कार्यसूची एवं सामग्री :–

बोर्ड का विश्वास है कि प्रभावी बोर्ड मीटिंग्स के लिए एक सुनियोजित एजेंडा का होना बेहद महत्वपूर्ण है। एजेंडे में शामिल सभी प्रमुख मुद्दों पर बोर्ड को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक पृष्ठभूमि में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी अप्रत्याशित विकास को समायोजित करने के लिए यह एजेंडा काफी लचीला है, जिसपर बोर्ड का ध्यान आकर्षित करने और इसके निर्णय की आवश्यकता है। एजेंडा के कागजात आमतौर पर पहले से ही बोर्ड के सदस्यों के बीच वितरित कर दिए जाते हैं। अध्यक्ष (चेयरमैन) के परामर्श से बोर्ड के सदस्य, बोर्ड के विचारार्थ किसी भी प्रासंगिक मामले को ला सकते हैं।

4.0 अंकेक्षण समिति (ऑडिट कमिटी)

ऑडिट कमिटी की बैठकों का आयोजन रांची स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किया जाता है या ऐसी जगहों में जिसपर प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया हो।

4.1 ऑडिट कमिटी बैठकों की संख्या :–

वर्ष 2019-20 के दौरान, चार (4) बैठकों का आयोजन हुआ, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	तिथि	स्ट्रेंथ	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	28.06.2019	02	02
2.	25.07.2019	03	03
3.	27.09.2019	03	03
4.	27.12.2019	03	02

4.2 ऑडिट कमिटी की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति

सदस्यों के नाम	अवधि	आयोजित बैठकों की सं.	बैठक में उपस्थिति की संख्या
श्री अरधेन्दु शेखर षाड़ंगी	01.04.2019 से 26.01.2020 तक	04	04
श्रीमती एन.एस. कुमार	01.04.2019 से 31.03.2020 तक	03	03
श्री के के सिंह	01.04.2019 से 26.01.2020 तक	00	00
डा. (श्रीमती) तारण कुमार रॉय	01.04.2019 से 26.01.2020 तक	04	03
श्रीमती अरूधती पंडा, निदेशक (वित्त) अंकेक्षण समिती की परमानेंट इनवाइटी हैं।			

5.0 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

स्वतंत्र निदेशक बोर्ड और बोर्ड स्तर की समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे इंजीनियरिंग, वित्त, प्रबंधन, कानून, नीति आदि के क्षेत्र में कंपनी के लिए अपनी विशेषज्ञता लाते हैं। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 26.07.2019 को रांची में आयोजित की गई, जिसमें कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। एवं वित्तीय वर्ष के दौरान गैर–स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष एवं बोर्ड के बारे में भी चर्चा की गई।

6.0 वार्षिक आम बैठक:

अंतिम तीन एजीएम का समय, दिनांक और स्थान

वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2016–17 (58 वीं एजीएम)	06.09.2017	11:00 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय
2107–18 (59 वीं एजीएम)	07.09.2018	11:00 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय
2018–19 (60 वां एजीएम)	27.09.2019	11:30 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय

7.0 आचार संहिता:

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए DPE दिशानिर्देशों के अनुरूप व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता निर्धारित की है।

8.0 प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुपालन में, कंपनी ने सभी निदेशकों से ब्याज का प्रकटीकरण (फॉर्म MBP–1) प्राप्त किया है।

अनुलग्नक–स

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन

अवलोकन:

एचईसी इस्पात, खनन, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भारत में पूंजीगत उपकरणों और मशीनरी के अग्रणी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यह अवधारणा–से–कमीशन तक टर्न–की परियोजनाओं को भी कार्यान्वित करता है। छह दशकों के अनुभव में, HEC ने अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति के माध्यम से देश में योगदान दिया है।

अर्थव्यवस्था की धीमी गति में एचईसी ने 1013.47 करोड़ रु. का कार्यादेश 2019–20 के दौरान प्राप्त किया। प्रमुख आदेश स्वदेशीकरण और आयात–प्रतिस्थापन को आगे बढ़ाते हैं। कंपनी का रणनीतिक उद्देश्य एक स्थायी संगठन का निर्माण करना है जो कि हमारे देश के मेकइन इंडिया मुवमेंट के प्रासंगिक है।

1.0 स्वॉट विश्लेषण: शक्ति एवं कमजोरी, अवसर एवं डर

1.1 शक्ति :

(i) भारत में इस्पात, खनन, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, मुख्य क्षेत्रों और रणनीतिक क्षेत्रों आदि में भारी इंजीनियरिंग उपकरणों के निर्माण के लिए अद्वितीय बुनियादी ढांचा,

(ii) हमारी जनशक्ति बहुत अनुभवी हैं।

(iii) हमारे उद्योग का स्थान कच्चे माल, बाजारों की निकटता के संबंध में सभी प्लस पॉइंट्स है और देश के सभी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

(iv) कंपनी की सभी इकाइयाँ एक ही स्थान पर स्थित हैं इसलिए इकाइयों के आसपास उचित समन्वय है।

(v) निगम की श्रमशक्ति को उसकी अपनी टाउनशिप में समायोजित किया गया।

1.2 कमजोरी:

(i) पुरानी मशीनरी, उपकरण और टैकल के कारण, अक्सर ब्रेकडाउन होते हैं जो रखरखाव की लागत को भी बढ़ाते हैं और प्रदर्शन को खराब करते हैं।

(ii) पिछले कई वर्षों में कोई प्रौद्योगिकी उन्नयन नहीं होने के कारण तकनीकी अप्रचलन हो गया है और इसके कारण कुछ नए आदेश जो नवीनतम प्रौद्योगिकी मापदंडों की मांग कर रहे हैं, उन्हें एचईसी द्वारा नहीं लिया जा रहा है।

(iii) अन्य संगठनों की तुलना में जनशक्ति के कम सेवन और कम पारिश्रमिक के कारण जनशक्ति में कमी।

(iv) कंपनी को लंबे समय से घाटे का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कार्यशील पूंजी का संकट है और इसके कारण बहुत सारे बाधाएं हाथ में आर्डर के निष्पादन में आ रही हैं।

1.3 अवसर:

(i) HEC में व्यापक क्षमता, अनन्य विशेषज्ञता और सहायक तकनीकी टीमें हैं, इसलिए, इसने नए बाजार खंडों में प्रवेश किया है, जैसे सामरिक क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी,

(ii) कोविद-19 महामारी ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां कई शीर्ष वैश्विक फर्म भारत में व्यवहार्यता की खोज कर रहे हैं, इस युग में इस प्रकार की फर्में एचईसी की उपलब्ध सुविधाओं और अवसंरचनाओं आदि का उपयोग कर सकती हैं।

(iii) माननीयकी नवीनतम घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण "200 करोड़ रूपये तक की सरकारी खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं" कंपनी को लाभान्वित करेगी और उम्मीद की जाती है कि एचईसी भारी इंजीनियरिंग उपकरणों के अग्रणी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है। देश।

(iv) विभिन्न संगठन भूमि, प्रौद्योगिकी, क्षमता आदि जैसे बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं, जो उन्हें व्यावसायिक और सामाजिक रूप से लाभान्वित करते हैं।

(v) कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (सीजीडी) ने एचईसी को डीएचआई से डीएई में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। हालांकि, मामला यथास्थिति के तहत है। यदि इस प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो एचईसी राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान देगा।

1.4 डर:

(i) पुरानी मशीनरी और प्रौद्योगिकी के कारण, एचईसी वर्तमान बाजार में प्रतिस्पर्धा खो रहा है जो नवीनतम प्रौद्योगिकी के लेखों की मांग कर रहा है

(ii) कई निजी क्षेत्र भारी इंजीनियरिंग उपकरणों के क्षेत्र में एचईसी के प्रतियोगी के रूप में काम कर रहे हैं।

(iii) कार्य आदेश के लंबे चक्र के कारण, कार्यशील पूंजी और उच्च उत्पादन लागत की कमी, जिससे हमारा मार्जिन कम हो रहा है और इस वजह से भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण,
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राँची

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखा परिक्षा पर रिपोर्ट

हमने इसके साथ संलग्न हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कम्पनी के वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक का बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, उस समय समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारियां भी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुरूप और हमें दी गयी व्याख्या के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के लिए अपेक्षित वांछित जानकारी प्रदान करता है, अधिनियम के धारा 133 के साथ कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 संशोधित (AS) एवं अन्य और लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा एवं निष्पक्ष राय प्रदान करता है जो भारत में सामान्यतया मान्य हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुई तिथि जो कंपनी की कार्यकाल का लाभ एवं नकदी प्रवाह है।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे ऑडिट का संचालन किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को ऑडिट के ऑडिट के लिए जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग। हम कंपनी के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। और वहां बनाए गए नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के इस खंड का उद्देश्य प्रबंधन से चुने गए उन मामलों का वर्णन करना है, जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के संदर्भ में समग्र रूप से संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामला सूचित किया जाएगा।

क्र.सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा पदार्थ	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	**प्रावधान और आकस्मिकता का आकलन देयताएं** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में, अन्य दलों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। प्रावधान के स्तर के आकलन में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी के मूल्यांकन को मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी और से सलाह के द्वारा समर्थित किया स्वतंत्र कर सलाहकार जाता है जहाँ भी आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम कंपनी की रिपोर्ट की गई हानि और शुद्ध संपत्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। परिणाम से संबंधित एसोसिएटेड अनिश्चितता को कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। **वित्तीय विवरणों के लिए नोट 33.1 का उल्लेख करें**	**प्रधान ऑडिट प्रक्रियाएं :** हमारा ऑडिट विचाराधीन मामलों के तथ्यों और संबंधित कानून के विवेचन/व्याख्या के विश्लेषण पर केंद्रित था। • विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और/या संचारों की जांच करना और उसके बाद कार्रवाई करना। • मुकदमेबाजी/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना • और उसमें प्रस्तुत आधार के संदर्भ में विचाराधीन विषय की योग्यता का मूल्यांकन और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी/कर सलाह की समीक्षा • और चर्चा के माध्यम से कंपनी की सामग्री का विश्लेषण, विवरण के विवरण का संग्रह विचाराधीन विषय, उन परिणामों पर संभावित परिणाम और संभावित संभावित बहिर्वाह।

		लेखापरीक्षा निष्कर्ष हमारी प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की, सिवाय इसके कि मामले के आधार पर मामले की समीक्षा वर्ष के अंत में देयता के आंकड़े में परिवर्तन को समायोजित करने के लिए नहीं की गई थी, यदि कोई हो।

संबंधी मामलों पर जोर

हम वित्तीय विवरण में वर्णित निम्नलिखित मुद्दों की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	जवाब
(क)	नोट नंबर 1(3), 1(4), 1(5) ''महत्वपूर्ण लेखा नीतियों'', ''नोट 17-'' इन्वेंटरी'' का संदर्भ लें, नोट नंबर 33. 14(क)'' वित्तिय विवरणों के अन्य नोट''। कंपनी के परियोजना प्रभाग द्वारा निष्पादित चार टर्नकी परियोजना से 2019-20 में राजस्व रु. 2312.34 लाख (पिछले वर्ष - रु. 8275.22 लाख) हैं। इन सभी 4 परियोजनाओं पर 31.03.2020 तक की लागत रु. 86147.28 लाख रूपये जिसके विरूद्ध कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्व रु. केवल 79375.60 लाख है। कंपनी ने अपने खातों की किताबों में परियोजनाओं की प्रगति में अनुबंध के काम को मान्यता नहीं दी हैं।	अनुबंध की कुल अनुमानित लागत को रिपोर्टिंग तिथि तक किए गए वास्तविक लागत के प्रतिशत के आधार पर राजस्व प्रतिशत पूरा होने की विधि पर मान्यता प्राप्त है। उपकरण/प्रणाली और नागरिक कार्यों के आपूर्ति निर्माण से आय को ग्राहक और प्रोजेक्ट साइट पर किए गए कार्यों के आधार पर मान्यता प्राप्त है। अनुबंध कार्य-मैं-प्रगति AS-7 के अनुसार - एक ठेकेदार को एक अनुबंध में भविष्य की गतिविधि से संबंधित लागतें लगानी पड़ सकती है। ऐसी लागतों को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावित है कि उन्हें पुनर्प्राप्त किया जाएगा। सभी गतिविधियाँ और शर्तों और अनुबंध के अनुसार व्यय के लिए बिलिंग/राजस्व पहचान की गई है। इसलिए WIP में कुछ भी नहीं माना जाता है।
(ख)	नोट नंबर 15 देखें - स्टैंडअलोन वित्तिय वक्तव्यों का एक हिस्सा है जो दर्शाता है कि प्रावधान दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के खिलाफ किया गया है जिसमें जमा/सुरक्षा जमा, आपूर्तिओं को अग्रिम आदि शामिल हैं। के स्तर के आकलन में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रावधान। कंपनी का मूल्यांकन मामले के तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है, लेकिन पिछले वर्षों में लगातार अपनाए गए पिछले अभ्यास। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकुल परिणाम कंपनी की रिपोर्ट की गई हानि और शुद्ध संपत्ति को काफी प्रभावित करते हैं। हमने देखा कि एक अभ्यास के रूप में लगातार पालन किया जा रहा है, कंपनी दी गई सभी लंबी अवधि के अग्रिमों/सुरक्षा जमा के खिलाफ 100% का प्रावधान कर रही हैं जो कि 3 वर्षों से अधिक समय से खातों की किताबों में जारी है। कंपनी निम्न के खिलाफ प्रावधान किया है। (i) विभिन्न कर प्राधिकारियों के विरोध में की गई जमा राशि और विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के विभागों के लिए देय राशि के विरोध में आंशिक रूप से भुगतान की गई माँग, जहाँ राशि विवादित है और अंतिम माँग अभी तक निर्धारित नहीं है - कुल प्रावधान रु. 51.46 लाख।	नोट कर लिया। कंपनी के पास दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के खिलाफ 100% प्रावधान करने का अभ्यास है जिसमें जमा/सुरक्षा जमा, आपूर्तिकर्ता को अग्रिम आदि शामिल हैं और जो 3 वर्षों से अधिक समय से खातों की पुस्तकों में जारी हैं। इस संतुलन की समीक्षा की जाएगी और तदनुसार आवश्यक समायोजन पर विचार किया जाएगा।

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	जवाब
	(ii) राज्य / केंद्र सरकार की इकाइयों / पीएसयू / विभागों सहित विभिन्न दलों को दीर्घकालिक अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि - कुल प्रावधान किए गए रु.। 784.22 लाख है। कंपनी प्रावधान के आधार के संबंध में किसी भी सहायक दस्तावेज का उत्पादन नहीं कर सकती थी सिवाय तथ्य के प्रस्तुत करने के अलावा कि उसी प्रथा का पालन किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप रुपये की हानि के लिए अधिक विवरण दिया गया है। 835.68 लाख और कंपनी की संपत्ति का बोध रु. 835.68 लाख है।	
(ग)	नोट संख्या 8 देखें - स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों का हिस्सा- ''सूक्ष्म उद्यमों के लिए देय व्यापार'' और बैलेंस शीट आइटम नं। 4B (i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की बकाया राशि - कुल मात्रा में रु। 1483.74 लाख जो देयता के रूप में प्रदान या शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने नोट 33.16 में सूचना दी है - ''वित्तीय विवरणों के लिए अन्य नोट'' जो कि रुपये की देयता की राशि के अतिरिक्त है। 1483.74 लाख, ब्याज की आगे देयता रु। 2301.74 लाख। MSME को देय ब्याज के रूप में देय राशि 2301.74 लाख को देयता/आकस्मिक देयता के रूप में नहीं दिखाया गया है लेकिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए अन्य नोट्स के तहत दिखाया गया है। बकाया का विश्लेषण आगे दर्शाता है कि 45 दिनों तक का बकाया रु। 180 दिनों तक 300.83 लाख (20.27%) रु। 613.79 लाख (41.37%), 181 दिनों से 360 दिनों के बीच रु। 33.86 लाख (2.29%) और 360 दिनों से अधिक रु। 535.25 लाख (36.07%) है। कंपनी एमएसएमई क्षेत्र के लिए देय ब्याज राशि के लिए वर्ष वार ब्रेक का उत्पादन नहीं कर सकी। इसके अलावा, कंपनी एमएसएमई क्षेत्र को इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए किए गए अपने प्रयासों को पुष्ट करने के लिए कोई पत्राचार या कोई भी दस्तावेज तैयार नहीं कर सकी। कंपनी की देनदारियां खत्म हो गई हैं या सीमा के तहत बताई गई हैं, जो कि सामंजस्य के बाद किए जाने वाले समायोजन के लिए आवश्यक है और देय ब्याज के समायोजन सहित शेष राशि की पुष्टि, यदि कोई हो, वहां।	नोट नं 8 - एमएसएमईडी अधिनियम के धारा 22 के अनुसार क्रेता, जो एमएसएमई से सामान खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है, को मूल राशि के संबंध में अतिरिक्त जानकारी में अनिवार्य रूप से खुलासा करना पड़ता है और उसके वार्षिक विवरण में एमएसएमई के बकाया न होने के कारण ब्याज मिलता है। निर्धारित प्रारूप में खातों का। एचईसी ने नोट नंबर 33.16 में इसका अनुपालन किया - "वित्तीय विवरणों के लिए अन्य नोट्स। अब तक रु 14.84 करोड़ में से रु 8.26 करोड़ का भुगतान किया गया है। की समीक्षा करें। समिति द्वारा 6.58 करोड़ संबंधित रुपये के लंबित मामलों का समीक्षा संबंधित वित्त और सामग्री प्रबंधन से से मिलकर होगा और आवश्यक समायोजन/वसूली बनाए जाएंगे यदि कोई है तो समिति की रिपोर्ट के अनुसार बनाया जाएगा।
(घ)	रेफर नोट नं। 10 (ए) - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाना - ''अल्पावधि प्रावधान'' - कर्मचारियों के लिए प्रावधान लाभ - वेतनमान का संशोधन - बकाया राशि के लिए भुगतान की गई राशि को वित्त वर्ष 2018-19 तक खर्च सिर के तहत बुक किया जा रहा था और देयता बनी हुई थी इस वर्ष में अवैतनिक और समान को सही किया गया है और रु। 357.77 लाख देयता से घटाए गए हैं और पूर्व अवधि समायोजन खाते में समायोजित किए गए हैं।	F-Y- 2019-20 में समायोजित किया गया

क्रम सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	जवाब
(ङ)	नोट नंबर 18 देखें - ''व्यापार प्राप्य'' - रु। 8903.51 लाख - नोट नंबर 21 - ''किराया और अन्य प्राप्य'' अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत रु। 8917.95 लाख और नोट नंबर 16- ''लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स'' अंडर अन्य नॉन - करेंट एसेट्स - रु। 37001.15 लाख - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले ये सभी तीन नोट - दिखाए गए शेष दलों से पुष्टि और सुलह पर परिणामी समायोजन के अधीन हैं, यदि कोई हो। कंपनी की परिसंपत्तियाँ उस हद तक या उससे कम हैं, जो सामंजस्य और संतुलन की पुष्टि के बाद किए जाने वाले समायोजन के लिए आवश्यक है।	व्यापार प्राप्य के संबंध में संतुलन की पुष्टि के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन पुष्टि अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, व्यापार प्राप्य में शेष राशि सूचना और दस्तावेजों के अनुसार है।
(च)	नोट संख्या 8 देखें - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा - ''व्यापार देय'' - रु। दिखाए गए बैलेंस 10921. 94 लाख पार्टियों की पुष्टि और सुलह पर परिणामी समायोजन के अधीन हैं, यदि कोई हो। कंपनी की देनदारियां खत्म हो गई हैं या सीमा के तहत कहा गया है कि समायोजन और संतुलन की पुष्टि के बाद आवश्यक समायोजन किया जाए।	नोट हुआ।
(छ)	नोट संख्या 31 देखें- स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों का हिस्सा - ''पूर्व अवधि समायोजन'' - कंपनी के पास पूर्व अवधि समायोजन के संबंध में कोई लेखांकन नीति नहीं है। भौतिकता की अवधारणा पर विचार नहीं किया जाता है और पूर्व अवधि से संबंधित वर्तमान वर्ष में खोज की गई त्रुटियों/चूक को पूर्व अवधि की वस्तुओं के रूप में माना जाता है और वर्तमान वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है। यह प्रथा जहां राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, ने कंपनी के प्रबंधन को बिना किसी प्रतिबंध और नियंत्रण के पर्याप्त मात्रा में पिछले वर्षों के खर्चों या आय को बुक करने की अनुमति दी है।	अकाउंटिंग पॉलिसी लेखा मानक के फ्रेम कार्य के भीतर बनाया जायेगा।
(ज)	काम कर रही कंपनी आउटसोर्स अनुबंधों पर भी आधारित है और उनके संचालन में किसी भी अनिश्चितता का कंपनी की कामकाजी और राजस्व बुकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, आकस्मिक देयता की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए, भविष्य में असाधारण मुकदमेबाजी और नियामक कार्रवाइयों को नियमबद्ध नहीं किया जा सकता है।	नोट हुआ।

ऊपर के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रतीत होता है भौतिक रूप से गलत किया गया।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत हैय हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। जैसा कि अन्य जानकारी हमें प्रदान नहीं की गई है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 20079749AAAACP9040

तिथिः 04.11.2020
स्थानः रांची

आर. के. श्रीवास्तव
वरीय उप महाप्रबंधक (ए&बी)
हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि., राँची

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, कंपनी के लेखा 133 (धारा) के तहत निर्धारित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ धारा 133 के तहत निर्धारित के अनुसार, कंपनी के नकदी प्रवाह सहित वित्तीय प्रदर्शन, संशोधित, और अन्य लेखांकन सिद्धांतों को आम तौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदनय निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जारी रखे जाने की क्षमता का खुलासा करने के रूप में, लागू करना, चिंता से संबंधित मामलों और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा रखता है या युद्ध संचालन, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एक पूरे के रूप में भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और सामग्री मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं।

हम भी :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के लिए चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बन सकता है।
- खुलासे सहित स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।
- हम अन्य मामलों में, ऑडिट की योजना बनाई गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
- हम उन लोगों को एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।
- शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी। इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ पल्ला झुकना।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यक है, हम ऑडिट की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर 'अनुबंध 1' में एक बयान देते हैं, उस पर कार्रवाई और उस पर प्रभाव पड़ता है खाते और कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) ऑर्डर 2016 (''ऑर्डर'') के अनुसार, हम ''अनुबंध 2'' में दिए गए मामलों पर एक बयान देते हैं। आदेश के पैरा 3 और 4।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

   ख) हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकों को कंपनी द्वारा अब तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

   ग) बैलेंस शीट, लाभ और हानि सहित विवरण और इस रिपोर्ट के साथ नकदी प्रवाह के विवरण खाते की पुस्तकों के साथ समझौते में हैं।

   घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

च) 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया, 31 मार्च, 2020 तक किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 164(2)।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में,में हमारी अलग रिपोर्ट देखें 'अनुलग्नक 3'। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

ज) अन्य मामलों के संबंध में ऑडिटर्स रिपोर्ट में कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) रूल्स, 2014 के नियम 11 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और स्पष्टीकरण के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए।

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. कंपनी ने प्रावधान किया है, जैसा कि लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक है, लंबी अवधि के अनुबंधों पर, भौतिक रूप से हानि के नुकसान के लिए।

iii. प्रबंधन से प्राप्त प्रतिनिधित्व के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 20079749AAAACP9040

तिथिः 04.11.2020
स्थानः रांची

अनुलग्नक – 1 स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट के लिए

(रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में उल्लिखित हमारी रिपोर्ट के सेक्शन हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए भी)

अनुलग्नक – ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 खाते के ऑडिट के लिए लागू कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत दिशा-निर्देश

क्र.सं.	प्रशन	प्रबंधन का जवाब
(अ)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का निहितार्थ, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है, लेकिन इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित वित्तीय नियंत्रण और आंतरिक जांच के साथ उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ एक मजबूत एकीकृत प्रणाली का अभाव है जो सभी विभागों के एकीकरण और विभिन्न प्रक्रिया के लिए आवश्यक है डिवीजनों के साथ ही हेड क्वार्टर में। प्लांट स्टोर पर आगे के स्टोर लीडर्स को नॉन-इंटीग्रेटेड सिस्टम पर रखा गया है। हालांकि, स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर कोई सामग्री निहितार्थ नहीं है।
(ब)	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या छूट/ऋण/ऋण/ब्याज आदि को लिखना है या नहीं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाना चाहिए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के ऋण को चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा ऋण के लिए किए गए ऋणों/ऋणों/ ब्याज आदि की माफी या छूट के मामलों का कोई पुनर्गठन नहीं है। हालांकि, कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ-साथ सरकार द्वारा दिए गए लोन के ब्याज का भी भुगतान नहीं किया है। भारत की ऋण और ब्याज की किस्तों का भुगतान करने में असमर्थता के कारण जो पहले से ही देय हैं।
(स)	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि प्राप्त/प्राप्त की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त की गई धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग/उपयोग किया गया।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 20079749AAAACP9040

स्थान : रांची
तिथि : 04.11.2020

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक–2

(समान तिथि के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

1. **कंपनी की अचल संपत्तियों के संबंध में :**

   (क) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।

   (ख) वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हालांकि, यह परीक्षण जांच के आधार पर किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भी भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

   (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड और हमें प्रदान किए गए कर्मों की परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, शीर्षक कर्म, जिसमें भूमि और इमारतों के सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो फ्री होल्ड हैं, कंपनी के नाम पर बैलेंस शीट तिथि के अनुसार आयोजित किया गया।

2. **इन्वेंटरी के संबंध में :**

   हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने आविष्कारों के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखा है और प्रबंधन ने आंतरिक ऑडिटर की प्रतिनियुक्ति की है जो भौतिक रूप से वर्ष के अंत में सूची का सत्यापन करेगा। जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियों को खातों की पुस्तकों में ठीक से निपटाया गया है।

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निकायों, कॉर्पोरेट, फर्मों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और इसलिए की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल हैं। आदेश के इस खंड 3 (iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण प्रदान करने, निवेश करने और गारंटी और प्रतिभूति प्रदान करने के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान जमा स्वीकार नहीं किया है और 31 मार्च, 2020 तक कोई लावारिस जमा नहीं है और इसलिए, आदेश के इस खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं हैं। कंपनी के लिए।

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लागत रिकॉर्ड का रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत कंपनी द्वारा किए गए व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट किया गया है और इस तरह के रिकॉर्ड को बनाए रखा गया है कंपनी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

7. वैधानिक बकाया राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार :

   (क) कंपनी आम तौर पर निर्विवाद वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें प्रोविडेंट फंड, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि शामिल हैं। उपयुक्त अधिकारियों।

   (ख) 31 मार्च, 2020 तक प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी। उपयुक्त अधिकारियों के साथ नीचे दिए गए को छोड़कर, वे उस तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय हो गए।

एक्ट का नाम	सभी (बकाया) रु. लाख में	अवधी
जल शुल्क बकाया	4153.75	मार्च, 2020 तक
म्युनिसिपल कर	47.50	मार्च, 2020 तक

(ग) आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री देय राशि का विवरण जो 31 मार्च, 2020 तक जमा नहीं किया गया है विवाद अनुबंध - 2 एमें दिए गए हैं

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और सरकार से ऋण या उधार लिया है, लेकिन कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। सरकार से प्राप्त ऋण। भारत और ब्याज के साथ-साथ दंडनीय देय देय राशि (9601.78 लाख रुपये) का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा बैंक से उधार लेने में कोई चूक नहीं है।

9. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) या टर्म लोन के माध्यम से धन नहीं उठाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) के तहत रिपोर्टिंग के लिए लागू नहीं है। कंपनी।

10. हमारे ज्ञान का सबसे अच्छा करने के लिए और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी पर ध्यान नहीं दिया गया है या वर्ष के दौरान देखा गया है।

11. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी गई धारा 197 के प्रावधानों के साथ पढ़ी गई अनुसूची V के अधिनियम द्वारा अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रदान किया है।

12. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

13. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू है, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन के लिए और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है। लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यकतानुसार स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरण।

14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का भुगतान किया है और इसलिए ऑर्डर के क्लॉज 3(xiv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

15. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या इसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान हैं। कंपनी के लिए लागू नहीं है।

16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 20079749AAAACP9040

तिथिः 04.11.2020
स्थानः रांची

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक–3

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 3 (एफ) के संदर्भ में है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की धारा 3 उप के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2020 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिए गए मार्गदर्शन नोट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के वित्तीय घटकों के बारे में बताया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, सटीकता और पूर्णता कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखांकन रिकॉर्ड और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपने वित्तीय लेखा परीक्षा के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार (भारत सरकार के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए 'गाइडेंस नोट') और कंपनियों की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों की सामग्री के जोखिम के मूल्यांकन का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैंय (2) उचित

आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं। और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पता लगाने या उचित वित्तीय विवरणों पर सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलतियाँ हो सकती हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के लिए और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी के पास सभी सामग्री मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से चल रहे थे। 31 मार्च, 2020, कंपनी के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, विषय इस संबंध में हमारी टिप्पणियों के लिए।

(क) कंपनी ने वेतन एरियर की देयता के विरुद्ध राशि का भुगतान किया लेकिन यह राशि व्यय प्रधान के तहत बुक की गई थी।

(ख) अग्रिमों के साथ-साथ पुस्तकों में पड़े दायित्व को समय पर समायोजित नहीं किया जा रहा है। बहुत पुरानी प्रगति और पुरानी देनदारियों को कंपनी की पुस्तकों में पूरी तरह से बिना किसी समीक्षा के पूरा किया जा रहा है।

(ग) कंपनी के पास लीज रेंटल के प्राप्य की उम्र-वार जानकारी नहीं है।

(घ) प्रविष्टियों को पास करते समय निर्माता और चेकर की अवधारणा का पालन नहीं किया जा रहा है।

(ङ) प्रावधान की प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रावधान की राशि में इस वर्ष के दौरान काफी ऊपर और नीचे की ओर संशोधन किए गए थे जो दस्तावेज लेखा नीति और समर्थित दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं हैं। इसके अलावा, कुछ साल पहले अपनाई गई एक प्रथा का लगातार बिना किसी समीक्षा के पालन किया जा रहा है और वित्तीय पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है।

ऊपर के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 20079749AAAACP9040

तिथिः 04.11.2020
स्थानः रांची

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुबंध – 2A "

(अनुबंध में उल्लिखित - 2 पैरा vii (स) 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत हमारी स्वतंत्र रिपोर्ट के अनुभाग को हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को उस तारीख के संदर्भ में)

कानून की प्रवृति	फोरम, जहाँ विवाद लंबित है	लंबित अवधि जिससे राशि संबंधित है	राशी (लाख में)
Value Added Tax Act, 2005 (VAT)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2008-2009	10.78
Value Added Tax Act, 2005 (VAT)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2009-2010	19.63
Value Added Tax Act, 2005 (VAT)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2010-2011	92.41
Value Added Tax Act, 2005 (VAT)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2011-2012	95.66
Value Added Tax Act, 2005 (VAT)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2012-2013	25.80
Value Added Tax Act, 2005 (VAT)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2013-2014	373.97
Value Added Tax Act, 2005 (VAT)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2014-2015	896.41
Value Added Tax Act, 2005 (VAT)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2015-2016	885.53
Central Sales Tax (CST)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2008-2009	10.35
Central Sales Tax (CST)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2009-2010	57.76
Central Sales Tax (CST)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2010-2011	137.18
Central Sales Tax (CST)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2011-2012	892.60
Central Sales Tax (CST)	Commissioner of Commercial Taxes, Ranchi	2012-2013	17.44
Service Tax Act	CESTAT, Kolkata	Oct-2006 to Mar-2007	926.94
Service Tax Act	CESTAT, Kolkata	Oct-2007 to Mar-2010	1224.09
Service Tax Act	Commissioner Appeal, Ranchi	2012-13 & 2013-14	221.05
Central Excise Act	CESTAT, Kolkata	2010-11 to 2014-15	3540.54
The Employees provident fund & Miscellaneous Provision Act, 1952	High Court of Jharkhand	Mar-1976 to Sep-1999	9501.54
Jharkhand Municipal Act, 2011	झारखण्ड उच्च न्यायालय ने मामला को खारिज किया एवं उपयुक्त अधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने का निर्देश दिया।	2016-2017	934.12

अनुलग्नक– 'द'

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी मंतव्य व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत् निर्धारित अंकेक्षण पर मानक के अनुरूप स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित होगा। ऐसा कहा गया है कि यह अंकेक्षण रिपोर्ट उनके द्वारा किया गया है, जो दिनांक 04 नवम्बर 2020 के उनकी ऑडिट रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करता है।

हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष पर हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरे, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6) (अ) के तहत पूरक अंकेक्षण कराया है। पूरक अंकेक्षण कार्य स्वतंत्र होकर निष्पादित किया गया है। जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक के दस्तावेजों का उपयोग नहीं किया गया और यह प्रारंभिक स्तर पर सांविधिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिक के पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेख की चयन परीक्षण तक सीमित है।

हमारे पूरक अंकेक्षण के आधार पर मैं कुछ भी महत्वपूर्ण मामला हमारे पास नहीं आया है जिस पर किसी प्रकार की टिप्पणीयाँ कंपनी अधिनियम की धारा 143(6) (b) के तहत सांविधित लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर पूरक टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से

(ए.पी. चोफी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात)
राँची

स्थान - राँची
दिनांक - 17.12.2020

FORM NO. MGT 9

ANNEXURE - E

EXTRACT OF ANNUAL RETURN AS ON THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2020

[Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014]

1. REGISTRATION & OTHER DETAILS :

i	CIN	U27100JH1958GOI000630
ii	Registration Date	31/12/1958
iii	Name of the Company	HEAVY ENGINERRING CORPORATION PRIVATE LIMITED
iv	Category/Sub-category of the Company	COMPANY LIMITED BY SHARE/GOVERNMENT COMPANY
v	Address of the Registered office and contact details	PLANT PLAZA ROAD, DHURWA, RANCHI - 834004
vi	Whether listed company	No
vii	Name, Address and Contact details of the Registrar and Transfer Agent, if any.	N.A

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY:

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated :-

Sl. No	Name & Description of main products/services	NIC Code of the Product /service	% to total turnover of the company
1	Steel Plant Mining Equipments, Steel Casting, Forgings & Rolls	273	100

3. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES

Sl. No	Name & Address of the Company	CIN/ GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of Shares Held	Applicable Section
1	N.A				
2	N.A				
3	N.A				

SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Break up as percentage to Total Equity)

i. Category – wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt.	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corporates									
e) Bank/FI									
f) Any other									
SUB TOTAL : (A) (1)	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0
(2) Foreign									
a) NRI- Individuals									
b) Other Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks/FI									
e) Any other									
SUB TOTAL : (A) (2)									
Total Shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)	0	6060788	6060788	100	0	6060788	6060788	100	0

B. PUBLIC SHAREHOLDING									
(1) Institutions									
a) Mutual Funds									
b) Banks/FI									
C) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Fund									
f) Insurance Companies									
g) FIIS									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
SUB TOTAL (B)(1) :									
(2) Non Institutions									
a) Bodies Corporates									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1 lakhs									
ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakhs									
c) Others (specify)									
SUB TOTAL (B)(2) :									
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)									

C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)	**0**	**6060788**	**6060788**	**100**	**0**	**6060788**	**6060788**	**100**	**0**

(ii) SHARE HOLDING OF PROMOTER

Sl . No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		NO of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	NO of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged encumbered to total shares	
1	G.O.I	6060788	100	0	6060788	100	0	0
	Total	6060788	100	0	6060788	100	0	0

(iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING (SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE) – N.A.

Sl. No.		Share holding at the beginning of the Year		Cumulative Share holding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	6060788	100	6060788	100
2	Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc)	0	0	0	0
3	At the end of the year	6060788	100	6060788	100

5. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment (Amt in Lakh)				
	Secured Loans excluding deposits	**Unsecured Loans**	**Deposits**	**Total Indebtedness**
Indebtness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	6684.47	4789.00		11473.47
ii) Interest due but not paid		3267.63		3267.63
iii) Interest accrued but not due		491.94		491.94
Total (i+ii+iii)	6684.47	8548.57		15233.04
Change in Indebtedness during the financial year				
Additions				
Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	15209.33	4789.00		19998.33
ii) Interest due but not paid		4299.37		4299.57
iii) Interest accrued but not due		513.21		513.21
Total (i+ii+iii)	15209.33	9601.78		24811.11

6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:

Sl. No	**Particulars of Remuneration**	**Total Amount (Rs. Lakh)**		
1	**Gross salary**	**Arundati Panda**	**M. K. Saxena**	**Rana S. Chakravarty**
	(a) Salary as per Provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	30.21	26.39	26.52
		0	1.73	1.73
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961			
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961			
2	Stock Option			
3	Sweat Equity			
4	Commission -as % of profit -Other, Specify			
5	Others, please specify-			
6	**Total (A)**			
7	**Ceiling As per the Act**	**30.21**	**28.12**	**28.25**

B. Remuneration to other Directors :

Sl. No	**Particulars of Remuneration**	**Name of Director**				**Total Amount (Amt in Rs.)**
	Independent Directors	**K. K. Singh**	**A. S. Sarangi**	**H. N. Ramakrishna**	**Taran Kumari Roy**	
	(a) Fee for attending board committee meetings	0	90000	70000	80000	240000
	(b) Commission (c) Others, please specify- Sitting Fees					
	Total (i)	**0**	**90000**	**70000**	**80000**	**240000**

	Other Non Executive Directors					
	(a) Fee for attending board committee meetings (b) Commission (c) Others, please specify- Sitting Fees					
	Total (ii)	**0**	**90000**	**70000**	**80000**	**240000**
	Total B = (i+ii)	**0**	**90000**	**70000**	**80000**	**240000**
	Total Managerial Remuneration					
	Overall Ceiling as per the Act					

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel				Total (Rs. Lakh)
1	**Gross Salary**	**CEO**	**Company Secretary**	**CFO**	**Total**	
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961.		12.74			12.74
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961					
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961					
2	Stock Option					
3	Sweat Equity					
4	Commission as % of profit others, specify					
5	Others, please specify					
	Total		**12.74**			**12.74**

7. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/Compounding fees imposed	Authority (RD/ NCLT/Court)	Appeal made if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

एचईसी में गणतंत्र दिवस का आयोजन

एचईसी में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया

एचईसी एवं ईईएसएल के बीच समझौता

जागरुकता सतर्कता सप्ताह के दौरान सीएमडी द्वारा शपथ दिलाया गया

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च 2020 को तुलन पत्र

₹ लाख में

		टिप्पणी सं.	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I.	**इक्विटी एवं देयताएँ**			
	1. शेयरधारक फंड			
	(अ) शेयर पूँजी	2	60607.88	60607.88
	(ब) आरक्षित एवं अधिशेष	3	(100680.82)	(59569.60)
	2. शेयर उपयोग रकम			
	लंबित आवंटन		0.01	0.01
	3. गैर चालू देयताएँ			
	(अ) दीर्घकालीन उधारकर्ता	4	0.00	0.00
	(ब) अन्य दीर्घकालीन देयताएं	5	37.67	845.78
	(स) दीर्घकालीन प्रावधान	6	8898.38	7876.31
	4. चालू देयताएँ			
	(अ) लघुकालीन उधारकर्ता	7	15209.33	6684.47
	(ब) व्यवसाय देय		792.97	1146.45
	(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया			
	(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त ऋणदाता का कुल बकाया	8	10921.94	11896.70
	(स) अन्य चालू देयताएं	9	59483.01	42769.58
	(द) लघुकालीन प्रावधान	10	1759.79	2878.68
	कुल		**57030.16**	**75136.26**
II.	**परिसम्पत्तियाँ**			
	1. गैर चालू परिसम्पत्तियां			
	(अ) नियत परिसम्पत्तियां			
	(i) सम्पत्ति, प्लांट एवं उपस्कार	11	5659.23	6133.33
	(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां	12	0.00	0.00
	(iii) पूँजीगत चालू कार्य	13	1619.19	1684.86
	(ब) गैर चालू निवेश	14	0.36	0.36
	(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	15	9.60	13.41
	(द) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	16	12598.46	15374.04
	2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
	(क) वस्तुसूचियां	17	11751.36	8556.99
	(ख) व्यवसाय प्राप्ययोग्य	18	6929.47	23468.99
	(ग) नकद एवं नकद समकक्ष	19	4279.48	6503.04
	(घ) लघुकालीन ऋण एवं अग्रिम	20	6469.70	5574.56
	(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	21	7713.31	7826.68
	कुल		**57030.16**	**75136.26**

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1
वित्तीय विवरण का अन्य टिप्पणियाँ 33
टिप्पणी सं. 1 से 33 एवं कैश फ्लो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है।

ए. के. कंठ	आर. के. श्रीवास्तव	अरुन्धती पंडा	डॉ. नलिन सिंघल
कम्पनी सचिव	व. उपमहाप्रबंधक (ए&बी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 20079749AAAACP9040

स्थान : राँची
दिनांक : 04.11.2020

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लाभ एवं हानि ब्यौरे

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

₹ लाख में

		टिप्पणी सं.	2019-20		2018-19
i.	प्रचालन से राजस्व	22	13975.18		36384.25
ii.	अन्य आय	23	3110.31		3600.56
iii.	कुल राजस्व		17085.49		39984.81
iv.	व्यय				
(क)	सामग्री खपत लागत	24	11662.91		17765.50
(ख)	समापन भंडार एवं प्रगतिशील कार्य के वस्तुसूची में परिवर्तन	25	(1854.04)		2862.75
(ग)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	13539.19		13321.46
(घ)	वित्तीय लागत	27	2423.89		2772.45
(ङ)	मूल्य ह्रास, परिशोधन एवं हानिकारक	28	733.22		740.91
(च)	अनुसंधान एवं विकास व्यय	29	79.06		92.12
(छ)	अन्य व्यय	30	30048.63		28424.63
	कुल व्यय		**56632.86**		**65479.82**
	पूर्व अवधि, अपवादित एवं असाधारण आइटम के पूर्व लाभ/हानि		(39547.37)		(25495.01)
	पूर्व अवधि संमजन (निवल)	31	(989.52)		(129.07)
v.	अपवादिक, असाधारण आईटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(40536.89)		(25624.08)
vi.	अपवादिक आइटम				
vii.	असाधारण आईटम एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		(40536.89)		(25624.08)
viii	असाधारण आईटम	32	0.00		16257.05
ix.	कर पूर्व लाभ (हानि) (VII-VIII)		(40536.89)		(9367.03)
x.	कर व्यय				
	(i) चालू कर	0.00		0.00	
	(ii) आस्थगित कर	0.00	0.00	0.00	0.00
xi.	सतत प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (IX-X)		(40536.89)		(9367.03)
xii.	विच्छिन्न प्रचालन से लाभ/(हानि)		0.00		0.00
xiii.	विच्छिन्न प्रचालन से कर व्यय		0.00		0.00
xiv.	विच्छिन्न प्रचालन के अवधि से लाभ/(हानि) (XII-XIII)		0.00		0.00
	अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI+XIV)		(40536.89)		(9367.03)
	प्रति शेयर उपार्जन (अंकित मुल्य रु. 1000) (1) रू. में मूल		(668.84)		(154.55)
	(2) रू. में कमी		(668.84)		(154.55)

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 1
वित्तीय विवरण के अन्या टिप्पणियाँ 33
टिप्पणी सं. 1 से 33 कैश फ्लो विवरण, वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है।

ए. के. कंठ	आर. के. श्रीवास्तव	अरून्धती पंडा	डॉ. नलिन सिंघल
कम्पनी सचिव	व. उपमहाप्रबंधक (ए&बी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 20079749AAAACP9040

स्थान : राँची
दिनांक : 04.11.2020

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अप्रैल 2019–मार्च 2020 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश फ्लो विवरण

₹ लाख में

		2019-20		2018-19
(अ) परिचालन कार्य से कैश फ्लो				
कर पूर्व निवल लाभ	(40536.89)		(25624.08)	
असाधारण आईटम	0.00	(40536.89)	16257.05	(9367.03)
समायोजन हेतु				
मूल्य ह्रास	734.23		744.33	
ब्याज खर्च	2423.89		2772.45	
असाधारण आईटम	(0.00)		(16257.05)	
पट्टा आय	(574.33)		(574.33)	
ब्याज कमाई	(66.08)		(68.23)	
इंक्रीमेंटल व्यवस्थाएँ	(96.82)	(2470.23)	(1580.69)	(14963.52)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ		(38116.00)		(24330.58)
समंजन हेतु :				
व्यापार एवं अन्य प्राप्य राशि	19428.48		15451.04	
वस्तु सूची	(3194.37)		1953.90	
व्यापार देय	14577.08		11389.79	
ऋण एवं अग्रिम	(891.33)	29919.86	(2061.64)	26733.09
परिचालन कार्यकलापों से प्राप्त रोकड़		(8196.14)		2402.54
आयकर चुकाया		0.00		0.00
परिचालन कार्यकलापों से प्राप्त निवल रोकड़		(8196.14)		2402.54
(ब) निवेश कार्यक्लाप से कैश फ्लो				
स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय	(315.78)		(235.25)	
स्थायी परिसम्पत्तियों का विक्रय/समंजन	77.40		122.32	
मूल्य ह्रास में समंजन	(21.76)		(108.70)	
पूंजीगत चालू कार्य में समंजन	(65.67)		(762.46)	
ब्याज कमाई	66.08		68.23	
पट्टा आय	574.33		574.33	
निवेश कार्य से प्राप्त निवल रोकड़		(445.94)		(341.53)
(स) वित्तीय कार्यकलाप से कैश फ्लो				
ब्याज भुगतान	(2423.89)		(2772.45)	
असाधारण आईटम	0.00		16257.05	
अल्पकालीन ऋण	(8524.86)		(12021.75)	
दीर्घकालीन उधार	(0.00)		(957.80)	

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अप्रैल 2019–मार्च 2020 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश फ्लो विवरण

₹ लाख में

		2019-20		2018-19
आरक्षित एवं अतिरिक्त में परिवर्तन	(574.33)		(574.33)	
वित्तीय कार्यक्लाप से निवल रोकड़		(5526.64)		(69.26)
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में निवल वृद्धि / (ह्रास)		(2223.56)		1991.74
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का प्रारंभिक शेष		6503.04		4511.30
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का समापन शेष		4279.48		6503.04
		(2223.56)		**1991.74**

टिप्पणी : उपर्युक्त कैशफ्लो विवरण लेखा मानक - 3 के अन्तर्गत परोक्ष रूप से तैयार किया गया है।

ए. के. कंठ	**आर. के. श्रीवास्तव**	**अरून्धती पंडा**	**डॉ. नलिन सिंघल**
कम्पनी सचिव	व. उपमहाप्रबंधक (ए & बी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

समतिथि के अनुरूप एच.ई.सी. स्तर पर हमारी रिपोर्ट
कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 20079749AAAACP9040

स्थान : राँची
दिनांक : 04.11.2020

कॉर्पोरेट सूचनाएं

एच.ई.सी. एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है

एच.ई.सी. कैपिटल गुडस के निर्माण में लगी हुई है

टिप्पणी संख्या –1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण सुनाम संस्थान के सदृश्य पुरानी लागत प्रथा एवं लेखाकरण जमा प्रणाली के अनुसार तैयार किये गये हैं, जो सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्त के अनुरूप है।

   ये सब वित्तीय विवरण लेखा मानक द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधान को अनुपालन करने हेतु तैयार किया गया है।

2 अचल परिसम्पत्तियां

अचल परिसम्पत्तियां (राज्य सरकार से प्राप्त निःशुल्क भूमि को छोड़कर) अर्जन लागत या संचित अवमूल्यन रहित निर्माण के आधार पर उल्लिखित है। राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि का मूल्य रु. 1/- प्रति एकड़ है।

3 वस्तुसूची मूल्य

(क) वस्तुसूची का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित लागत शुद्ध प्राप्य कीमत इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ख) तैयार माल एवं चालू कार्य का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित कारखाना लागत या शुद्ध कीमत, इनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ग) कच्चे माल, उपस्कर, फुटकर औजार, स्टोर्स एवं स्पेयर्स का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

(घ) आइटम जो सामान्यतया अन्तर परिवर्तनीय तथा जो उत्पादित माल या सेवाएं विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पृथक किये गये हैं, का मूल्यन वैयक्तिक लागत की विशिष्ट पहचान पर किया जाता है।

(ङ) अस्वीकृत एवं रद्दी मालों का मूल्यन समापन खाता दर पर होता है, जहाँ कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है।

(च) उप उत्पादों का मूल्यन बाजार दर पर होता है।

(छ) चालू कार्य के पूरा करने का प्रतिशत अर्थात चालू कार्य के समापन का स्तर तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर शॉप प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

(ज) शॉप में निर्गत फुटकर औजारों, रेखांकन औजारों आदि को तकनीकी आधार पर बट्टे में डालकर वस्तु सूची में दिखाया गया है अर्थात् साधारण औजारों को 4 वर्षों में एवं अन्य औजारों को दस वर्षों में, मोल्ड्स को नौ वर्षों में एवं अन्य औजारों को अनुमानित जीवन के आधार पर बट्टे में डाल कर वस्तु सूची में रखा गया है। पैटर्न की कीमत उसके निर्गत वर्ष में दर्शायी जाती है। उन वस्तुओं का केवल मात्रात्मक अभिलेख शॉप स्तर पर जहाँ व्यावहारिक है, रखा जाता है।

4 राजस्व पहचान

(क) जब महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व का लाभ ग्राहकों के पास अंतरण होता है जो बिक्री रिकॉर्ड की जाती है। दीर्घकालीन संविदाओं के लिए आंशिक आपूर्तियां जिनके जी.एस.टी. बिल दिए गये हैं, उनका मूल्यन संविदा मूल्य या प्रावधानिक मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ख) संविदा पर वृद्धि युक्तियां ढंग से सुनिश्चित कर प्रासंगिक संविदा की शर्तों के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि/स्वीकृति ग्राहकों द्वारा होती है।

(ग) संविदा के प्रावधान या ग्राहकों द्वारा साक्ष्य स्वीकृति के बाद विभिन्नताओं को लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) बिक्री को जी.एस.टी. छोड़कर लेखाबद्ध किया गया है।

5 दीर्घकालीन टर्न की संविदाएं

(क) राजस्व पहचान

कार्य समापन की प्रतिशतता विधि आधारित संविदा की कुल प्राक्कलित लागत में प्रतिवेदित तिथि तक वास्तविक लागत खर्च के प्रतिशत के आधार पर राजस्व की पहचान की गई है।

उपस्कर/पद्धति के सप्लाई/इरेक्शन तथा सिविल कार्य से आम ग्राहकों को प्रेषण एवं प्रोजेक्ट साइट पर निष्पादित कार्य के आधार पर पहचान की गई।

(ख) अपूर्ण/आंशिक निष्पादित/ग्राहकों द्वारा मापी नहीं कार्य के लिए राजस्व पहचानः

वर्ष के अंत में निष्पादित कार्य, परन्तु मापी नहीं/आंशिक निष्पादित/अपूर्ण कार्य प्रोजेक्ट साइट पर कार्यरत एच.ई.सी. अभियंता और राजस्व पहचान के प्रयोजनार्थ हेतु ग्राहकों के प्रमाण पत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ग) चालू कार्य का मूल्यन

संविदा कार्य के प्रमाणित मूल्य की सीमा तक वर्षानुवर्ष चालू कार्य पर की गई वृद्धि समेत व्यय को संबंधित संविदा के अन्तर्गत बिक्री में दिखाई गई राशि को घटाने के बाद चालू कार्य में लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) हानि के लिए आवश्यक प्रावधान यदि कोई, कार्य निष्पादित होने पर किया गया है।

6. वारंटी प्रावधान

बिक्री पर 0.5 प्रतिशत का प्रावधान संविदात्मक बाध्यताएं/वारंटी के तहत देयता के लिए किया गया है। वारंटी व्यय को आय में पुनःलिखित हेतु एक वर्ष बाद में प्रावधान होगा। वारंटी/संविदात्मक बाध्यता के आधार पर व्यय जिसे भार ग्रहण के वर्षों में स्वाभाविक शीर्षों के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है।

7. कर्मचारी हित लाभ

- दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ, कर्मचारी की सेवा प्रारंभ करने की तिथि से बारह महीने के उपरांत देय अस्वस्थता अवकाश एवं सेवा निवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्यूटी, सेवा निवृत्त यात्रा भत्ता और अवकाश नगदीकरण की गणना वार्षिक तीसरी पार्टी बीमांकित मूल्यन के आधार पर योजनागत यूनिट क्रेडिट प्रक्रिया के द्वारा छूट देकर की गई है एवं अवकाश यात्रा भत्ता (पात्र कर्मचारी हेतु) की गणना प्राक्कलित आधार पर की गई है।
- दीर्घकालीन कर्मचारी हित लाभ, तुलन पत्र में पहचान की गई है जो दायित्व को वर्तमान मूल्य प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि अचिन्हित विगत सेवा कीमत के लिए समायोजित किया गया है यदि कोई हो, योजनागत परिसम्पत्ति के उचित मूल्य द्वारा कमी के अनुरूप जहाँ लागू है तथा बीमांकित लाभ/हानि, लाभ और हानि लेखा में एक सीमा तक पहचान की गई है।

  बीमांकित लाभ एवं हानि को संक्रमण दायित्व के अचिन्हित भाग से अधिक की सीमा तक लाभ और हानि लेखा में पहचान की गई है।
- दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के संबंध में संक्रमण दायित्व को पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक सीधी पंक्ति आधारित व्यय के रूप पहचान की गई।
- उपदान (ग्रेच्यूटी) और नगदीकरण अवकाश की व्यवस्था तुलन पत्र तिथि के आंकड़ों के आधार पर बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

8. मूल्य ह्रास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में उपबंधित दर के अनुसार सीधी रेखा विधि के आधार पर अचल सम्पत्ति पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है, तथा वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति में वृद्धि/कटौती के संबंध में यथानुपात मासिक आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है। जहाँ प्लांट एवं मशीनरी तथा प्लांट बिल्डिंग की नींव के लागत ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्लांट बिल्डिंग पर चालू दर से अवमूल्यन प्रभारित है।

9. विविध देनदार

(अ) इसमें से बिल शामिल है जिनका मूल्य निर्धारण लंबित होने तथा ग्राहकों से औपचारिक आदेश न होने के कारण बिल अन्तिम दर पर दिये गये हैं, जिनके प्रासंगिक संविदा के लिए प्राप्त अग्रिम/प्रगति अदायगी के यथानुपात आधार पर समंजन के उपरांत बिल नहीं बनाये गये हैं।

(ब) यह प्रावधान नियत तारीख से 3 वर्ष से अधिक के बकाया देनदार के खिलाफ किया गया है।

10. सहायता अनुदान

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को इसी मद में खर्च किया गया/ सहायकता अनुदान के अव्यचित शेष राशि चालू देयता के शीर्षाधीन बाद के लिए अग्रेनीत किया गया। अन्य राजस्व के लिए प्राप्त अनुदान को तत्संबंधित वर्षों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

11. निवेश

एक वर्ष से अधिक समय के लिए किये गये/किये जाने वाले अर्थात दीर्घकालीन निवेश का मूल्यन लागत में से मूल्य की गिरावट (अस्थिर गिरावट को छोड़कर) को घटा कर किया जाता है, जबकि चालू अद्धृत निवेश का मूल्यन कम कीमत या बाजार मूल्य पर किया जाता है।

12. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित मुख्य व्यय भार ग्रहण करने के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा के अन्तर्गत प्रभारित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास संबंधी अचल परिसम्पतियों पर किये गये व्यय का प्रतिपादन अन्य अचल परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय के अनुरूप ही किया जाता है। ऐसी अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास अन्य अनुसंधान एवं विकास व्यय के साथ दर्शाया गया है।

13. विदेशी मुद्रा लेन–देन

आस्थगित उधार अदायगी समेत विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित मौद्रिक परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तुलनपत्र तिथि के अनुसार बकाया शेष का वर्षांत की दर पर परिवर्तित किया गया है। वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तथा प्राप्य लाभ और विदेशी मुद्रा के लेन-देन में हानि के परिवर्तन में अंतर को अचल सम्पति के अर्जन से संबंधित जो अचल सम्पत्ति की लागत में समंजन किये गये हैं, जो छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा में लेखाबद्ध किया गया है।

14. एच.ई.सी. बिल से कंपनी द्वारा/कंपनी के खिलाफ/ ग्राहकों से घटाया/वसूली परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) या एचइसी द्वारा घटाया/वसूली परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) ग्राहकों के बिल पर

(क) संविदाओं के अनुसार विशेष परिनिर्धारित नुकसानी को अभिनिश्चयन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है तथा विशेष नुकसानी के मामलों व कंपनी द्वारा विवादित दावों के युक्ति संगत प्राक्कलन के आधार पर कंपनी द्वारा प्रावधान किया गया है।

(ख) प्राप्त की गई परिनिर्धारित नुकसानी को वर्ष में वसूली के तीन साल के बाद आय के रूप में पहचान की गई है।

(ग) ग्राहकों द्वारा कटौती एल डी को वर्ष में व्यय हेतु पहचान की गई है।

(घ) निर्यात प्रोत्साहनों, रेलवे एवं बीमा दावे, विविध निपटान योग्य सामग्रियों तथा विशेष स्क्रैपों की बिक्री उत्पाद एवं सीमा शुल्क की वापसी तथा अन्य सदृश्य मदों से प्राप्त आय को राशि के अभिनिश्चयन तथा उनका प्राप्य/दावा की निश्चितता के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

15. अन्तर प्लांट लागत आवंटन

निम्नांकित व्यय निम्नवत वर्णित आधार पर विभिन्न प्लांटों में आवंटित किये गये हैं।

(अ) मुख्यालय व्यय (निवल) : प्रत्येक प्लांट के बजटीय उत्पादन

(ब) टाउनशिप (निवल) : प्रत्येक प्लांट के आवंटित आवास की संख्या

(स) ब्याज : पूर्ववर्ती वर्ष में प्रत्येक प्लांट द्वारा वास्तविक राशि का उपयोग

(द) के.ओ.सु.बल व्यय : प्रत्येक प्लांट में के.ओ.सु. बल के कार्मिक की प्रतिनियुक्ति।

16. वस्तु सूची

भंडार के अचल वस्तुसूची का विश्लेषण समय-समय पर किया गया है। प्रत्यक्ष सत्यापन में अधिशेष सामग्री को या तो निपटान कर दिया गया है या उसके वैकल्पिक उपयोग के लिए समीक्षा की गई है। यदि कोई हानि हो तो निश्चित होने पर लेखाबद्ध किया गया है। यद्यपि कि अचल आइटम तीन वर्षों से अधिक का है, अधिकतम प्रावधान यदि आवश्यक हो, तो वस्तुसूची की कीमत के 90 प्रतिशत तक सीमित होगा।

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2020		**31.03.2019**
टिप्पणी संख्या –2			**शेयर पूंजी**	
अधिकृत पूंजी				
10000000 (विगत वर्ष 10000000) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु.1000/-		100000.00		100000.00
निर्गत एवं अभिदत पूंजी				
60,60,788 (विगत वर्ष 60,60,788) इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 1000/- के पूर्णतः भुगतान किए गए, जिसमें 5496 (विगत वर्ष 5496) शेयर के मूल्य नकद में न प्राप्त होकर अन्य रूप में प्राप्त हुए।		60607.88		60607.88
	निबल शेष	**60607.88**		**60607.88**
वर्ष के अन्त तक शेयर धारकों के पास 5% से अधिक शेयर है,				
इनका पूर्ण ब्यौरा	**शेयरों की संख्या**	**% पास में है**	**शेयर की संख्या**	**% पास में है**
नोमिनी के साथ भारत के राष्ट्रपति (पी.ओ.आई)	6060788	100%	6060788	100%
अंकित मूल्य प्रत्येक शेयर (रु.)		1000.00		1000.00
टिप्पणी संख्या –3			**आरक्षित एवं अधिशेष**	
पूंजी आरक्षित				
प्रारंभिक अधिशेष	9562.30		10136.63	
वर्ष के दौरान योग	0.00		0.00	
	9562.30		10136.63	
वर्ष के दौरान कटौती	574.33	8987.97	574.33	9562.30
सरप्लस				
प्रारंभिक अधिशेष	(69131.90)		(59764.87)	
वर्ष के दौरान योग	(40536.89)	(109668.79)	(9367.03)	(69131.90)
	योग	**(100680.82)**		**(59569.60)**
टिप्पणी संख्या –4			**दीर्घकालीन उधार**	
टर्म ऋण				
भारत सरकार से गैर-योगनागत ऋण		0.00		0.00
	योग	**0.00**		**0.00**
टिप्पणी संख्या –5			**अन्य दीर्घकालीन देयताएँ**	
ठेकेदार से प्रतिभूति एवं अन्य जमा		2.20		2.20
कन्ट्रा नोट संख्या 15 के अनुसार कर्मचारियों से जमानत एवं अन्य जमा		0.00		0.05
अन्य देयताएँ		35.47		599.55
विविध		0.00		243.98
	योग	**37.67**		**845.78**

तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2020		31.03.2019
टिप्पणी –6		**दीर्घकालीन व्यवस्थाएँ**		
(अ) कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यवस्था				
उपदान हेतु व्यवस्था	5952.21		5126.78	
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	2561.98		2215.00	
सेवानिवृति यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	49.80		41.07	
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	39.95	8603.94	37.03	7419.89
(ब) अन्य				
विकृत परिसम्पत्तियों हेतु व्यवस्था	62.40		63.41	
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	232.04	294.44	393.02	456.43
	योग	**8898.38**		**7876.31**
टिप्पणी –7		**अल्पकालीन ऋण**		
प्रतिभूत ऋण				
कार्यशील पूंजी हेतु बैंक से ऋण (कच्चामाल, तैयार माल, चालू कार्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों एवं खाता ऋण के हाइपोथिकेशन से प्रतिभूत)		15209.33		6684.47
	योग	**15209.33**		**6684.47**
टिप्पणी संख्या –8		**व्यवसाय देय**		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदार का कुल बकाया		10231.17		11398.32
माध्यम उद्यमों का कुल बकाया		690.77		498.38
	योग	**10921.94**		**11896.70**

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2020		31.03.2019
टिप्पणी संख्या –9		**अन्य चालू देयताएँ**		
कर्मचारियों के देयताएँ		9049.73		6228.55
स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना दायित्व		1.88		1.88
भारत सरकार से ऋण*	4789.00		4789.00	
जोडे : प्राप्त ब्याज परन्तु सरकारी ऋण पर देय नहीं	4812.78	9601.78	3759.57	8548.57
सरकारी अनुदान (अनयूटीलाइज्ड)				
कर भुगतान हेतु भारत सरकार से प्राप्त किए	18243.00		18243.00	
घटाये : पूंजी लाभ कर के विरूद्ध चार्ज (13-14)	9245.61		9245.61	
घटाये : पूंजी लाभ कर के विरूद्ध चार्ज (17-18)	6200.00		6200.00	
घटाये : अग्रिम कर शेष	2246.39		2246.39	
जोडे : ब्याज आय	2315.17	2866.17	2129.88	2680.88
ठेकेदारों से प्रतिभूति एवं अन्य जमा राशि		3386.20		3111.12
अनुसूचित बैंकों के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता		16.59		200.51
सरकारी अनुदान से प्राप्त रकम		500.00		500.00
सरकारी अनुदान से प्राप्त राशि (स्वच्छय भारत)		0.00		55.00
सरकारी अनुदान से प्राप्त राशि (सीइएफसी) के तहत		130.00		130.00
विद्युत बकाया		8956.20		5683.08
जल कर बकाया		4153.75		3820.71
अन्य देयताएँ		1567.51		1232.87
ग्राहकों से अग्रिम		10120.43		3649.84
विविध		7257.51		6926.57
सीआइएसएफ बकाया पर ब्याज		1875.26		0.00
	योग	**59483.01**		**42769.58**
भुगतान के लिए मेच्यूरेड सरकारी ऋण का भाग				
टिप्पणी संख्या –10		**अल्पकालीन व्यवस्थाएँ**		
(अ) कर्मचारियों के हित लाभ हेतु व्यवस्था				
उपदान के लिए व्यवस्था	615.76		1096.92	
छुट्टी नकदीकरण के लिए व्यवस्था	844.08		949.06	
निवृति यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	2.88		5.70	
छुट्टी यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	117.40		178.39	
कर्मचारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण की व्यवस्था	124.89	1705.01	511.88	2741.95
(ब) अन्य				
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था		54.78		136.73
	योग	**1759.79**		**2878.63**

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

टिप्पणी संख्या –11 सम्पति, प्लांट एवं उपस्कर

परिसम्पतियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य ह्रास				निबल खंड	
	01.04.19 को लागत	योग / समंजन	कटौती / समंजन	31.03.20 को लागत	31.03.19 को	वर्ष के लिए	योग / (कटौती)	31.03.20 तक	31.03.20 को	31.03.19 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भूमि (भूमि विकास सहित)	219.82	0.00	0.00	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	219.82	219.82
भवन	5881.16	0.00	42.25	5838.91	5271.91	46.62	0.28	5318.25	520.66	609.25
सड़कें	266.17	0.00	0.00	266.17	252.90	0.00	0.00	252.90	13.27	13.27
प्लांट एवं मशीनरी	27980.65	272.34	13.95	28239.04	23434.74	622.06	1.79	24055.01	4184.03	4545.91
फर्नीचर एवं उपस्कर	159.32	2.65	0.00	161.97	109.68	5.66	0.00	115.34	46.63	49.64
मोटर गाड़ी	140.98	6.74	0.00	147.72	133.95	0.80	0.00	134.75	12.97	7.03
रेलवे पथिकाएँ	469.39	0.00	0.00	469.39	435.56	3.20	0.00	438.76	30.63	33.83
कार्यालय उपस्कर	218.88	10.43	0.00	229.31	168.36	10.23	0.00	178.59	50.72	50.52
कम्प्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	569.54	12.94	0.68	581.80	493.54	24.43	0.52	517.45	64.35	76.00
विद्युत संस्थापनाएँ एवं उपस्कर	762.14	10.34	0.00	772.48	642.69	19.07	0.00	661.76	110.72	119.45
पाइपलाइन एवं सल्यूसेस	605.55	0.00	0.00	605.55	558.31	2.16	0.00	560.47	45.08	47.24
अन्य परिसम्पत्तियाँ (अ) के लघु योग	**37273.60**	**315.44**	**56.88**	**37532.16**	**31501.64**	**734.23**	**2.59**	**32233.28**	**5298.88**	**5771.96**
लीज में दिए गए परिसम्पत्तियाँ										
भूमि (भूमि विकास सहित)	22.32	0.00	0.00	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.32	22.32
भवन	807.08	0.00	0.00	807.08	531.43	0.00	0.00	531.43	275.65	275.65
अन्य परिसम्पत्तियाँ (ब) के लघु योग	**829.40**	**0.00**	**0.00**	**829.40**	**531.43**	**0.00**	**0.00**	**531.43**	**297.97**	**297.97**
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियाँ										
31.03.2018 को प्लांट एवं मशीनरी	1035.21	0.00	0.00	1035.21	971.82	0.00	0.00	971.82	63.39	63.39
2018-19 के दौरान प्लांट एवं मशीनरी	0.00	0.34	20.52	(20.18)	0.00	0.00	19.17	(19.17)	(1.01)	0.00

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

परिसम्पतियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य ह्रास				निबल खंड	
	01.04.19 को लागत	योग / समंजन	कटौती / समंजन	31.03.20 को लागत	31.03.19 को	वर्ष के लिए	योग / (कटौती)	31.03.20 तक	31.03.20 को	31.03.19 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सम्पूर्ण परिसम्पतियाँ (स) के लघु-योग	**1035.21**	**0.34**	**20.52**	**1015.03**	**971.82**	**0.00**	**19.17**	**952.65**	**62.38**	**63.39**
कुल योग टेन्जीबल स्थायी परिसम्पतियाँ (अ+ब+स)	**39138.21**	**315.78**	**77.40**	**39376.59**	**33004.89**	**734.23**	**21.76**	**33717.36**	**5659.23**	**6133.30**
विगत वर्ष के आंकड़े	39025.26	235.25	122.32	39138.19	32369.24	744.32	108.70	33004.86	6133.33	

चालू अवधि मूल्यह्रास	734.23
कुल मूल्यह्रास	734.23
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	(1.01)

टिप्पणी :- जमीन की स्थिती

		एकड़
(क)	झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	2035.14
(ख)	सी.आई.एस.एफ. को हस्तांतरित जमीन	158.00
(ग)	स्मार्ट सिटी के लिए झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित जमीन	647.08
(घ)	अतिक्रमण जमीन	379.91
(ङ)	लीज में दिए गए जमीन	313.31
(च)	अपने यूज के लिए जमीन	3666.07
	मूल डिड (बिलेख) के अनुसार कुल जमीन	7199.51

टिप्पणी संख्या –12 **अमूर्त परिसम्पत्तियाँ**

योग (अ-ब)	**0.00**	**0.00**

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2020	31.03.2019
टप्पणी संख्या –13		**पूंजीगत चालू कार्य**	
पूंजीगत चालू कार्य			
प्लांट एवं मशीनरी		2401.64	2467.31
घटाये : व्यवस्था		782.45	782.45
	योग-	**1619.19**	**1684.86**
टिप्पणी संख्या –14		**गैर–चालू निवेश**	
इक्विटी उपकरण में निवेश			
(व्यापार निवेशों के अलावा) अनुदघृत 3575 (विगत वर्ष 3575) ई.पी.आई.लि. के इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य रु. 10.00 प्रति शेयर है।		0.36	0.36
	योग-	**0.36**	**0.36**

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के इक्विटी शेयरों का अभिदत्त अंकित मूल्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि. के आदेश संख्या डी.एल.आई/एस.ई.सी/ए.जी.एम/003/40 दिनांक 22.03.2011 के अनुमोदन से रु. 38.95 से घटकर रु. 10.00 प्रति शेयर किया गया है। 31.03.2019 को वित्तिय स्थिति के अनुसार शेयर का मूल्य 1.99 लाख हो।

टिप्पणी संख्या –15 — **दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम**

(अ) ऋण एवं अग्रिम						
अग्रिम ऋण तथा अग्रिम अन्य राशियाँ जो नकद वस्तु या प्राप्य मूल्य में वसुलने योग्य है (ठेकेदारों वाह्य पार्टियों को आपूर्तित तथा/समंजन निलंबिन सामग्रियों के मूल्य सहित)	कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि	कुल रकम	व्यवस्था	निबल राशि
संदेहात्मक	643.78	643.78	0.00	659.14	659.14	0.00
(ब) प्रतिभूति जमा						
निजी पार्टियों के पास जमा	0.90	0.35	0.55	0.90	0.20	0.70
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	155.56	146.60	8.96	155.56	146.60	8.96
कर्मचारियों (कन्ट्रा के टिप्पणी संख्या -5)	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
(स) सुरक्षा जमा राशि	44.95	44.95	0.00	41.25	41.25	0.00
(स) अन्य						
कर्मचारियाँ का अग्रिम	15.25	15.25	0.00	24.26	24.26	0.00
प्राप्य दावें	4666.34	4666.25	0.09	180.54	176.84	3.70
स्रोत पर काटे गये आयकर	7.40	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00
योग-	**5534.18**	**5524.58**	**9.60**	**1069.10**	**1055.69**	**13.41**

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम का विवरण		
प्रतिभूत प्राप्य समझे गये	0.00	0.05
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	9.60	13.36
संदेहात्मक	5524.58	1055.69
योग	**5534.18**	**1069.10**

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

			31.03.2020		31.03.2019
टिप्पणी संख्या –16			**अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ**		
दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य					
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग					
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये		12461.35		15220.22	
संदेहात्मक		23741.81		12766.91	
	योग (अ)	**36203.16**		**27987.13**	
(ब) अन्य					
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये		137.11		153.82	
संदेहात्मक		660.88		623.75	
	योग (ब)	**797.99**		**777.57**	
	लघु योग (अ+ब)	**37001.15**		**28764.70**	
घटायेः संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था		18921.70		11089.60	
एल.डी.कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था		5480.99	12598.46	2301.06	15374.04
	कुल योग		**12598.46**		**15374.04**

1. दीर्घकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण और स्पेयर्स मद में 9802.39 लाख रुपया (विगत वर्ष 13983.89 लाख रु.) भी शामिल है जो देय नहीं है जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक वाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

तुलन पत्र ब्योरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2020		31.03.2019
टिप्पणी संख्या –17		**वस्तुसूची**		
(प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)				
कच्चे माल तथा अवयव	6922.70		6150.75	
घटायेः व्यवस्था/स्टॉक समंजन	2757.68	4165.02	2915.31	3235.44
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे एवं अवयव निर्माण सामग्रियों सहित	1544.60		1021.71	
घटायेः व्यवस्था/स्टॉक समंजन	331.62	1212.98	248.90	772.81
मार्गस्थ माल/ निरीक्षणाधीन	553.83		625.59	
घटायेः व्यवस्था	248.90	304.93	271.97	353.62
अलग्न औजार, (लूज टूल्स) रेखांकन यंत्र इत्यादि	1098.34		1083.75	
घटायेः व्यवस्था	55.85	1042.49	70.39	1013.36
निर्मित उत्पाद स्टॉक	821.99		389.62	
घटायेः व्यवस्था	25.50	796.49	25.50	364.12
प्रगतिशील कार्य	4336.17		2914.50	
घटायेः व्यवस्था	106.72	4229.45	96.86	2817.64
हटाया गया परिसम्पत्तियाँ	0.00		3.48	
घटायेः व्यवस्था	0.00	0.00	3.48	0.00
कुल वस्तु	15277.63		12189.40	
घटायेः व्यवस्था/स्टॉक समंजन	3526.27		3632.41	
	योग-	**11751.36**		**8556.99**

टिप्पणी :- 1. समापन भंडार में निर्मित एवं प्रगतिशील कार्य के लिए 130.43 लाख रुपये (विगत वर्ष 115.68 लाख रु.) मूल्य के बन्द, निरस्त पुराने कार्यदेशों की वे वस्तुएँ जिनका मूल्यांकन स्क्रैप दर पर किया गया है, शामिल है।

2. अचल कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे जो तीन वर्ष के अधिक के है, का मूल्य 3386.22 लाख रुपये (विगत वर्ष 3415.24 लाख रु.) है एवं इसके लिए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त पाया गया।

3. शॉपफ्लोर में 159.87 लाख रु. का स्क्रैप सहित कच्चामाल एवं अवयव (विगत वर्ष 459.65 लाख रु.) शामिल है।

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

	31.03.2020			31.03.2019		
टिप्पणी संख्या –18	**व्यवसाय प्राप्य योग्य**					
अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य						
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग	**छः महीने से ऊपर**	**अन्य ऋण**	**योग**	**छः महीने से ऊपर**	**अन्य ऋण**	**योग**
अप्रतिभूत प्राप्यःसमझे गये	3131.71	3795.76	6929.47	7208.66	16344.05	23552.71
संदेहात्मक समझे गये	1893.17	80.87	1974.04	7048.76	139.79	7188.55
लघु योग (अ)	**5026.88**	**3876.63**	**8903.51**	**14257.42**	**16483.84**	**30741.26**
(ब) अन्य						
अप्रतिभूत प्राप्यः समझे गये	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संदेहात्मक समझे गये	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लघु योग (ब)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
योग (अ+ब)			**8903.51**			**30741.26**
घटाये : संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था			846.11			3081.74
घटाये : एल डी कटौती एवं चार्ज के विरुद्ध व्यवस्था			1127.93			4190.52
निबल योग			**6929.47**			**23469.00**

टिप्पणी :- 1. अल्पकालीन व्यवसाय प्राप्य योग्य में आपूर्ति की गई उपकरण एवं स्पेयर्स मद में 104.25 लाख (विगत वर्ष ₹ 95.72 लाख) भी शामिल है जो देय नहीं है। जिनकी वसूली कुछ संविदात्मक बाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

टिप्पणी संख्या –19	**नकद एवं नकद समकक्ष**			
(अ) अनुसूचित बैंक चालू खाता में शेष	1368.47		2955.86	
(ब) अपने पास रखे हुए नकद	2.17		1.90	
घटाया : प्रावधान	0.28	1370.36	0.00	2957.76
(स) अन्य				
बैंकों के साथ चिहिंत शेष				
अनुसूचित बैंक के साथ अल्पकालीन जमा •	2909.12		3323.92	
अन्य बैंक के साथ अल्पकालीन जमा ••	0.00	2909.12	221.36	3545.28
योग-		**4279.48**		**6503.04**

- • विकृत नोट एवं सिक्के प्रचलन में नहीं है।
- •• पूंजीलाभ कर 2886.17 रू. भुगतान के लिए अनुउपयोग सरकारी अनुदान सम्मलित है।
- •• तीन महिने से अधिक का मूल परिपक्वता के साथ कोर्ट आर्डर के अनुसार अल्पकाल जमा।

तुलन पत्र ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		31.03.2020		31.03.2019
टिप्पणी संख्या –20		**अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
(अ) **ऋण एवं अग्रिम**				
अप्रतिभूति प्राप्य समझे गये		355.74		988.44
(ब) **प्रतिभूति जमा**				
निजी पार्टियों के पास जमा		41.10		5.64
सरकारी अधिकारियों के पास जमा		694.12		920.90
(स) **सुरक्षित जमा**		894.05		837.41
(ब) **अन्य**				
कर्मचारियों का अग्रिम		84.46		44.25
पूर्वदत्त व्यय		148.34		60.10
प्राप्य दावे		3030.60		1905.46
स्रोत पर काटे गये आयकर #		1280.40		865.41
लधु योग		**6528.81**		**5627.61**
घटाये: अप्राप्य एवं संदेहात्मक अग्रिम के लिए व्यवस्था		59.11		53.05
योग-		**6469.70**		**5574.56**
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम का विवरण				
प्रतिभूत प्राप्य समझे गये		6113.96		4586.12
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये		355.74		988.44
संदेहात्मक		59.11		53.05
योग		6528.81		5627.61
टिप्पणी संख्या –21		**अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ**		
किराया एवं अन्य प्राप्य				
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग		4236.00		4236.00
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये (झारखण्ड सरकार)				
अप्रतिभूत प्राप्य समझे गये	2936.68		2962.45	
संदेहात्मक	372.06	3308.74	464.33	3426.78
(ब) किराया				
अप्रतिभूत, प्राप्य समझे गये	540.63		627.68	
संदेहात्मक	832.58	1373.21	197.92	825.60
(ब) प्राप्त ब्याज परन्तु देय नहीं		0.00		0.55
योग-(अ+ब+स)		**8917.95**		**8488.93**
घटाये : संदेहात्मक प्राप्य योग्य हेतु प्रावधान		1204.64		662.25
निबल रकम		**7713.31**		**7826.68**

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		2019-20		2018-19
टिप्पणी संख्या -22		**प्रचालन से राजस्व**		
बिक्री एवं सेवाएं				
उत्पादों की बिक्री	12656.50		35049.89	
सेवाओं की बिक्री	611.62	13268.12	571.23	35621.12
अन्य प्रचालन राजस्व				
आंतरिक उपयोग के लिए जॉब	707.06		763.13	
जोड़ेः अन्तर प्लांट हस्तान्तरण	0.00	707.06	0.00	763.13
	योग	**13975.18**		**36384.25**
टिप्पणी संख्या -23		**अन्य आय**		
ब्याज		66.08		68.23
किराया		1444.01		1634.67
स्टोर्स की बिक्री		26.17		63.37
विविध आय		171.84		927.29
एच टी आई से आय		36.18		30.28
परिसम्पत्तियों के बिक्री पर लाभ		29.54		102.10
अधिक प्रावधान प्रतिलेखित		1012.70		513.57
जल एवं बिजली चार्ज		323.79		261.05
	योग-	**3110.31**		**3600.56**
टिप्पणी संख्या -24		**सामग्री खपत लागत**		
कच्चा माल एवं अवयवों की खपत	8511.05		12973.12	
घटायेः अंतर प्लांट हस्तान्तरण	2577.70	5933.35	3483.55	9489.57
स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत	5825.81		8390.03	
घटायेः अंतर प्लांट हस्तान्तरण	96.25	5729.56	114.10	8275.93
	लघु योग	**11662.91**		**17765.50**

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		2019-20		2018-19
टिप्पणी संख्या - 25		चालू कार्य एवं निर्मित माल के वस्तुसूची में परिवर्तन		
चालू कार्य एवं निर्मित माल के मूल्य में ह्रास/(अभिवृद्धि)				
चालूकार्य				
प्रारंभिक स्टॉक	2914.50		3319.02	
समापन स्टॉक	4336.17	(1421.67)	2914.50	404.52
तैयार स्टॉक				
प्रारंभिक स्टॉक	389.62		2347.85	
समापन स्टॉक	821.99	(432.37)	389.62	1958.23
	योग	**(1854.04)**		**2362.75**
टिप्पणी संख्या -26		कर्मचारी हितलाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी एवं बोनस		8862.05		9499.21
भविष्य निधि के मद में निगम				
अंशदान और कर्मचारी पेंशन फंड		971.15		1001.90
कामगार एवं कर्मचारी कल्याण व्यय		872.36		569.15
छुट्टी नकदीकरण		1081.12		1458.34
ग्रेच्यूटी (उपदान)		1831.57		884.98
	लघु योग-	**13618.25**		**13413.58**
घटायेः अनुसंधान एवं विकास व्यय का अंतरण		79.06		92.12
	योग-	**13539.19**		**13321.46**
टिप्पणी संख्या -27		वित्तीय लागत		
बैंक उधार पर ब्याज		1370.68		1454.96
सरकारी ऋण पर ब्याज		1053.21		997.76
अन्य ऋण पर ब्याज		0.00		319.73
	योग-	**2423.89**		**2772.45**

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		2019-20		2018-19
टिप्पणी संख्या –28		**मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय**		
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार मूल्य हास		734.23		746.61
डिपलेशन व्यय				
टिप्पणी सं. 11 के अनुसार हानिकरण		(1.01)		(5.70)
	योग-	**733.22**		**740.91**
टिप्पणी संख्या –29		**अनुसंधान और विकास व्यय**		
अनुसंधान और विकास व्यय				
वेतन एवं भत्ते		79.06		92.12
	योग-	**79.06**		**92.12**
टिप्पणी संख्या –30		**अन्य व्यय**		
(अ) निर्माण सेवा लागत				
जल, ऊर्जा और इंधन		3950.33		3610.79
मरम्मती एवं अनुरक्षण				
प्लांट एवं मशीनरी	249.27		285.31	
बिल्डिंग	63.12		82.54	
अन्य	105.71	418.10	142.84	510.69
बीमा		213.50		154.80
	लघु योग (अ)	**4581.93**		**4276.28**
(ब) निर्माण एवं अन्य प्रचालन व्यय				
मशिनिंग एवं एसेम्बली चार्ज	475.63		761.59	
अलग्न औजार चार्जड ऑफ	794.63		670.75	
वाह्य एजेंसी द्वारा निर्मित जॉब	4522.98		4230.45	
टर्न की प्रोजेक्ट व्यय	2054.51		3747.99	
उत्पादन के लिए अन्य प्रभार	1019.69	8867.44	1337.01	10747.79
घटायेः अंतर प्लांट अंतरण (सेवाएं)		535.51		718.04
	लघु योग- (ब)	**8331.93**		**10029.75**
(स) प्रशासनिक बिक्री एवं वितरण व्यय				
किराया		30.88		31.86
बिजली एवं पेय जल व्यय		1037.02		827.92
सुरक्षा व्यय		2289.74		2105.49
सीआइएसएफ बकाया पर ब्याज		563.53		0.00
यात्रा एवं सवारी भत्ता		176.49		253.83
बैंक प्रभार		387.22		236.47
टेलीफोन एवं डाक व्यय		34.90		40.32
प्रिंटींग एवं स्टेशनरी व्यय		35.08		42.07
किताबें एवं आवधिक		2.49		3.77
विविध व्यय		418.20		513.93
सीईएफसी व्यय		0.00		498.00
CVLDRS सरकार के स्कीम के तहत		95.23		0.00
मोटर वाहन चालन व्यय		206.55		244.25
परामर्शी एवं वैधिक व्यय		236.79		212.19
नगरपालिका कर/प्रभार		8.00		8.00

लाभ एवं हानि ब्यौरे के टिप्पणी निर्माण अंश

₹ लाख में

		2019-20		2018-19
एल.डी कटौती एवं चार्जड		338.47		1416.63
बिक्री उन्नयन		137.11		247.81
अंकेक्षक पारिश्रमिक				
अंकेक्षक शुल्क	2.25		2.25	
कर अंकेक्षण शुल्क	0.38		0.38	
आंतरिक अंकेक्षक शुल्क	1.90		1.90	
रिर्म्बसमेन्ट व्यय	0.13	4.46	0.40	4.93
प्रशिक्षण व्यय		4.07		3.84
लघु योग (स)		**6006.43**		**6691.31**
(द) अन्य प्रावधान/व्यय बट्टे में डालना				
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		6194.04		6619.55
अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		0.00		123.66
वारंटी व्यय का प्रावधान		66.25		178.11
विदेशी मुद्रा अंतर हेतु प्रावधान		91.88		27.09
प्राप्ति के लिए प्रावधान		4488.38		0.00
स्टॉक सत्यापन के अन्तर हेतु प्रावधान		134.51		422.16
विविध प्रावधान		14.92		56.72
विविध हानियां बट्टे में डालना		138.36		0.00
लघु योग - (द)		**11128.34**		**7427.29**
कुल योग (अ+ब+स+द)		**30048.63**		**28424.63**
टिप्पणी संख्या –31		**पूर्व अवधि समंजन**		
आय				
बिक्री (सेवा आय के साथ)	(2.73)		0.00	
अंतर प्लांट हस्तान्तरण	(0.00)		(66.48)	
विविध आय	(0.56)	(3.29)	0.00	(66.48)
घटायेः व्यय				
कच्चा माल की खपत	0.00		50.44	
कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	(357.77)		12.49	
सीआइएसएफ बकाया पर ब्याज	1311.73		0.00	
मूल्य ह्रास	0.00		(2.29)	
विविध व्यय (शुद्ध)	32.27	986.23	1.95	62.59
पूर्व अवधि समंजन (निवल)		(989.52)		(129.07)
टप्पणी संख्या –32		**असाधारण आईटम**		
आय				
जमीन हस्तांतरण के विरूद्ध विक्री विचाराधीन		0.00		16264.60
घटाये व्यय :				
झारखण्ड सरकार को जमीन हस्तांतरण का लागत		0.00		7.55
निबल		**0.00**		**16257.05**

टिप्पणी संख्या 33 – ''वित्तीय विवरण के लिए अन्य टिप्पणियां''

33.1 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिवद्धता (प्रदान नहीं की गई)

₹ लाख में

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1	ठेका की अनुमानित राशि, शेष को पूँजी खाते में डाला जाएगा और इनके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	15089.37	14330.44
2	क्रेडिट की असमाप्त पत्र	709.56	392.36
3	असमाप्त बैंक गारंटी	14470.50	17453.26
4	होल्डींग कर	934.12	615.34
5	जल बकाया	1094.42	1094.42
6	पी. एफ बकाया राशि के प्रति हर्जाना। ई.पी.एफ. बकाया का भुगतान में चुक होने से रिजनल भविष्यनिधि आयुक्त, राँची का भुगतान हेतु नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। एच. ई. सी लि. अध्यक्ष केन्द्रीय निदेशक बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 03/76 से 09/99 तक के बीच की अवधि में 9501.54 लाख रु. की क्षति को माफ करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसे रिजनल भविष्य निधि आयुक्त, राँची द्वारा दिनांक 12.11.2010 को अस्वीकृत किया गया। कम्पनी ने फिर से नागरिक विविध पेटीशन (सी एम पी) में पेटीशन सी. पी 476/2010 झारखण्ड माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व दायर की। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने आदेश दिनांक 14.10.2019 को याचिका सीएमपी 476/2010 को खारिज कर दिया। ईपीएफओ, के कार्यालय के पत्र क्रमांक जेएच/आरक्यू/आरएनसी/रिकवरी/दिनांक 23.12.2019 से बैंक खाते को संलग्न किया, एचईसी लिमिटेड ए WP (सी) रिकवरी अधिकारी के आदेशों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 09.01.2020 को 62/2020 दायर किया गया है, ईपीएफओ ने जेएच/आरओ/आरएनसी/Recovery/ 1465/2019/1397/34379 और JH/RO/RNC/Recovery स्टेट बैंक को जारी किए गए ERY/1465/2019/1398/34380 dt 23.12.2019 भारतीय और केनरा बैंक। याचिकाकर्ता मेसर्स एचईसी लिमिटेड, 23.12.2019 के नामे, 18.01.2020 को आदेश में झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय प्रतिबंधात्मक/अटैचमेंट आदेश को अगले नियम समय तक रोक लगाने का निर्देश दिया है।	9501.54	9501.54
7	**कानूनी केस :-** एच. ई. सी. के विरुद्ध दावा दायर की परन्तु ऋण का पावती नहीं **केस** — **रकम** (अ) बढ़ाया भूमि अधिग्रहण मुआवजा केस — 1071.15 रांची गौशाला से संबंधित 157.42 एकड़ भूमि का अधिग्रहण तत्कालीन सरकार ने एचईसी और उसके सहायक और संबद्ध उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 3500 रुपये प्रति एकड़ की दर से वर्ष पचास के दशक में किया था। मुआवजे का भुगतान और कब्जे को एचसी को सौंप दिया गया था। बाद में 1971 में LA केस नंबर 22/1971 रांची गौशाला द्वारा मुआवजे में वृद्धि के लिए दायर किया गया था, जिसे निर्णय दिनांक 12.01.1998 और अवार्ड दिनांक 19.01.1998 के फैसले से बढ़ाया गया था। एलडी अदालत ने प्रति एकड़/20000 रुपये के मुआवजे को बढ़ाने के अलावा एक साल के लिए/30% और ब्याज/9% (17.10.1958 से 16.10.1959 के लिए) और 15% प्रति वर्ष राशि 17.10.1959 से राशि प्राप्ति तक का अवार्ड (पुरस्कार) प्रकाशित किया। इस प्रकार पहले से भुगतान किए गए 4.68 लाख के मुआवजे के समायोजन के बाद, रांची गौशाला को मुआवजे की राशि रु. 247.22 लाख 31.12.1997 को प्रारम्भिक और ब्याज का समावेश में आ गई। पुरस्कार से दुखी होकर, मेसर्स एचईसी लिमिटेड ने माननीय उच्च न्यायालय में एफए नंबर 43/98 से विचार निवारक के लिये एक अपील दायर की और रांची गौशाला ने सिविल कोर्ट, रांची में पुरस्कार के कार्यान्वयन के लिए केस संख्या 15/1998 दायर किया है।	18730.94	3691.64

	मध्यस्थता • रामा फेरो एलोय एण्ड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड • एस बनर्जी • अन्य (केस नं.-5)	 695.67 246.64 55.57	 997.88		
	(स) एमएसएमइडी (केस नं.-9)		713.06		
	(द) अन्य कानूनी केस • रामपुर इन्जिनियरिंग कं. लिमिटेड • आदर्श कॉपरेटिव • अन्य (केस नं.-15)	 12500.00 1271.81 2177.04	 15948.85		
8	वाणिज्य कर (वैट एवं सीएसटी) आयुक्त, राँची के पास विचाराधीन मूल्यांकन आदेश अपील के तहत माँग			2812.78	2439.43

वर्ष	वैट रकम	सीएसटी रकम	कुल रकम
2008-09	10.78	10.35	21.13
2009-10	19.63	57.76	77.39
2010-11	92.41	137.18	229.59
2011-12	95.66	892.60	988.26
2012-13	25.80	17.44	43.24
2013-14	373.97	0.00	373.97
2014-15	896.41	0.00	896.41
2015-16	124.91	57.88	182.79
कुल	**1639.57**	**1173.21**	**2812.78**

9	**सेवा कर**			2372.08	1761.09
	1	अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 के अवधि का एन. सी. एल. निगाही (प्रोजेक्ट विभाग) के लिए सेवा कर की मांग। आदेश संख्या 43/एस टी/कॉम/2013 दिनांक 28.03.2013)/सी ई एए टी ए टी, कोलकाता के पास अपील लम्बित है।	926.94		
	2	अक्टूबर 2007 से मार्च 2010 के अवधि का एन. सी. एल. निगाही (प्रोजेक्ट विभाग) के लिए सेवा कर की मांग। आदेश संख्या 59/एस टी/कॉम/2016 दिनांक 13.04.2016)/सी ई एस टी ए टी, कोलकाता के पास अपील लम्बित है।	1224.09		
	3	शॉवल पूर्ति के लिए कन्ट्रेक्ट सेवा के कुछ अंश में सेवा कर की मांग। (आदेश संख्या वी (65) 34/एच ई सी, एडजन/रान 1/2015/8304 दिनांक 23.09.2015). आयुक्त, राँची, के पास अपील लम्बित है।	221.05		
10		उत्पाद शुल्क		3540.54	1180.18
	1	सीनवेट क्रेडिट के गैर रिवर्सल के लिए उत्पाद शुल्क की मांग जिसे हमलोगों ने उपयोग किया/लाभ और पूँजी हेतु वित्तीय विवरण 2010-11 से2014-15 के (आर्डर सं. 05/सेन्ट्रल एक्साइज/कमि. 2017, 24.03.2017) में कुछ प्रावधान किया है। सी ई एस टी ए टी कोलकाता में अपील लम्बित है।	3540.54		
	योग			69255.85	52459.70

33.2 पुनरुत्थान पैकेज

(i) कम्पनी का खाता "गोइंग-कंसर्न" के आधार पर खोला गया था। बहुत बड़े नकारात्मक निवल मूल्य (नेगेटिव नेट वर्थ) के साथ युग्मित घाटे के लम्बे समय तक रहने के कारण कम्पनी को बीमार घोषित किया गया और उसे 24-02-1992 को बी आई एफ आर को भेजा गया। 26-08-1996 को बी आई एफ आर ने एक पुनर्वास पैकेज की मंजूरी दी जिसे भारत सरकार द्वारा 07-02-1997 को अनुमोदित किया गया। इसके बाद 06-07-2004 को बी आई एफ आर ने योजना विफल होने की घोषणा की और कंपनी को पूरी तरह से समटने या बंद करने का आदेश दिया।

(ii) उक्त समापन आदेश के खिलाफ कंपनी ने 18-08-2004 को झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समापन आदेश खारिज करने/रोक लगाने के लिये एक रिट याचिका संख्या 4513/04 दायर किया। झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार, झारखण्ड सरकार एवं एच.ई.सी. को, एच.ई.सी. के पुनरुद्धार के लिये एक प्रस्ताव न्यायालय के सामने जमा करने का मौका दिया। इसके बाद दिनांक 9-9-2004 से 13-11-2009 के बीच कई सुनवाईयाँ हुईं और अंततः झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13-11-2009 को भारत सरकार, झारखण्ड सरकार, एच. ई. सी. एवं उससे संबंधित पार्टियों को निर्देश दिया कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया था उसे अमल में लाया जाय और वाइंडिंग-अप को 2004 के सी. पी. संख्या 5 के साथ डबल्यू पी संख्या 4513 को बंद किया जाए, और आशा एवं उम्मीद जताई कि भविष्य में पिछली घटनाओं को दुहराया न जाए और एच.ई.सी., जो राष्ट्र का गौरव है, और सारी कंपनियों की मदर कंपनी है वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करें।

झारखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निम्नलिखित पुनरुत्थान पैकेज भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। इस तरह के प्रस्तावों का विवरण एवं उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैं :

(A) भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज की स्थिति :–
(7–10–2005 को बी. आर. पी. एस. ई. द्वारा अनुशंसित एवं 15–12–2005 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)

भारतीय सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता	कार्यान्वयन की स्थिति
अ) 31.03.2005 को 1527.49 लाख रु. के योजना ऋण का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2006 में कार्यान्वित
ब) 31-03-2005 तक गैर-योजना ऋण पर छूट और योजना एवं गैर-योजना ऋण पर ब्याज 110101.96 लाख रु.	मार्च 2006 में कार्यान्वित
स) 10200.00 लाख रुपये के गैर-योजना ऋण को 9203 लाख रुपये के बिना योजना ऋण के रूप में देना, 498.50 लाख रु. के योजना ऋण को, जो कंपनी द्वारा दोबारा तीन वर्षों में चुकता किया जाएगा और साथ ही साथ 498.50 लाख रु. इक्विटी के रूप में भी। (क्र.सं0 अ,ब,स 13.07.2006 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित।)	मार्च 2006 में कार्यान्वित
द) राज्य सरकार को पूर्व में ही किराए पर दिए गए आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण, कंपनी के ठेकेदारों तथा पूर्व कर्मचारियों के साथ लंबी अवधि पर आवासों के निपटान के लिए पट्टा (लीज), वाणिज्यिक एवं संस्थागत क्षेत्रों का निपटान तथा स्कूलों और अस्पतालों के निजीकरण के माध्यम से संसाधन जुटाना (लगभग 33000.00 लाख रु.)	आवासीय क्वार्टर के दीर्घकालीन पट्टे से कंपनी ने 8543.82 लाख रुपये अर्जित किए।

ब. भारत सरकार द्वारा सितंबर 2008 में अनुमोदित पुनरुत्थान योजना :

अ)	योजना ऋण (582.50 लाख) और गैर योजना ऋण (10221.00 लाख) का इक्विटी में रूपांतरण	मार्च 2009 में कार्यान्वित
ब)	2005-06 और 2006-07 में 4480.54 लाख बकाया ब्याज प्राप्त किया जिसे दिनांक 18.09.2008 तक इक्विटी में हस्तांतरण किया।	मार्च 2009 में कार्यान्वित
स)	कार्यशील पूंजी की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी गारंटी को 15000.00 लाख से 25300.00 लाख बढ़ाना	मार्च 2009 में कार्यान्वित
द)	सीआईएसएफ को कंपनी की भूमि के अनुरूप राशि का हस्तांतरण करके सीआईएसएफ के 7906.00 लाख रु. की देनदारी का निपटारा	7906.00 लाख रुपये की बकाया राशि के परिसमापन के लिए मार्च 2009 में 158 एकड़ भूमि सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2008 में भारत सरकार द्वारा सीआईएसएफ पर बकाया राशि 3790.62 लाख रु. पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज की माफी और 31-7-2008 के बाद ब्याज और दंडात्मक ब्याज पर निर्णय को अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया था।

स. पुनरुद्धार पैकेज की स्थिति : डीएचआई, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार और एच.ई.सी. लिमिटेड के बीच सहमति व्यक्त की।

अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज — करोड़ रू. में

	सीसीईए	झारखंड सरकार की ओर से दायर हलफनामे और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय की मंजूरी के अनुसार।	माफ / समायोजित / प्राप्त की जाने योग्य राशि	माफ / समायोजित / प्राप्त की गई राशि	माफ / समायोजित / प्राप्त की जाने योग्य शेष राशि
1	बिजली बकाया माफी विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं। परंतु 5,00,00.00 लाख की बिजली बकाया राशि की माफी का प्रस्ताव झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत।	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के पश्चात, 30637.42 लाख रु. की बिजली बकाया राशि की माफी और विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) का जेएसईबी द्वारा अंतिम निष्पादन।	96984.68 लाख रु. कुल राशि की माफी / समायोजन किया जाना है।	85342.46 लाख (31.08.2008 तक 30637.42 लाख का बिजली बकाया और 54705.04 लाख का डीपीएस की माफी)	01.09.2008 से 31.03.2010 तक डीपीएस के विरुद्ध 11642.22 लाख रु. माफ किया जाना है।
2	3103.00 लाख का पीएचईडी बकाया माफ	31.03.2007 तक पी एच ई डी बकाया 3264.80 लाख की माफी।	3264.80 लाख (माफ)	3264.80 लाख (माफी)	कुछ नहीं

3	2551.00 लाख रुपये की बिक्री कर बकाया राशि की माफी	झारखण्ड सरकार ने सहमति व्यक्त की है कि एचईसी द्वारा 2551.00 लाख रुपये भुगतान को 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता का पूर्ण और अंतिम निपटान माना जाएगा, जिसमें विलंबित भुगतान के लिए दंड/दंडात्मक ब्याज आदि भी शामिल है, जो सीटी दायित्व के आकलन से संबंधित है। इसके अलग दायित्व और बाद में पाये गये किसी भी दायित्व को प्रासंगिक कानून/दिशानिर्देशों के अनुसार माना जाएगा।	1) झारखण्ड सरकार द्वारा 2551.00 लाख का भुगतान किया जाना है। 2) कंपनी को झारखण्ड सरकार के पास 2551.00 लाख़ रुपये जमा करना है। 3) 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता पर माफी का आदेश झारखण्ड सरकार द्वारा जारी किया जाना है।	1) 25.51 करोड़ 2) वाणिज्यिक कर के एवज में एचईसी द्वारा 2551.00 लाख रुपये जमा किए गए। 3) आदेश जारी नहीं किया गया	1) कुछ नहीं 2) कुछ नहीं 3) झारखण्ड सरकार द्वारा 31.03.07 तक सभी बकाया राशि पर माफी के लिए आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।
4	भविष्य में किसी प्रकार की भूमि या भवन के हस्तांतरण की प्रतिबद्धता के बिना एचईसी को झारखण्ड सरकार से 25000.00 लाख रुपये प्राप्त करने के लिए अधिकृत करना	27551.00 लाख रुपये का अनुदान जिसमें ऊपर क्र. सं. 3 में उल्लेखित 2551.00 लाख रुपये शामिल है।	27551.00 लाख़ रुपये	20021.00 लाख प्राप्त हुआ PMAY-U से 2633.00 लाख समायोजित हुआ।	4897.00 लाख
5	एचईसी को 2342 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति देना। इसमें इमारत के लिए संबंधित भूमि की 85 एकड़ जमीन भी शामिल है।	एचईसी को झारखण्ड सरकार को 2342 एकड़ भूमि सौंपना है।	झारखण्ड सरकार को 2035.14 एकड़ भूमि पर अधिकार दे दिया गया है जिसमें लिए हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया। शेष 306.86 एकड़ भूमि को अतिक्रमण हटाने के बाद सौंप दिया जाएगा। पत्रांक सं.-7 05/02/2019 पीइ-5 एमएसआइ एण्ड पीईडिएचआइ, 21.10.2019 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के प्रावधान के अनुसार, झारखण्ड सरकार को 107.28 एकड़ भूमि के लिए किसी भी पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी- उक्त 306.86 एकड़ जमीन में से उसी का उपयोग किया जाएगा। पात्र झुग्गी निवासियों के लिए PMAY-U के तहत किफायती आवास परियोजना (एस) के लिए सरकार। शेष 199.58 एकड़ का उपयोग पीएमवाई-यू के अलावा शहरी विकास योजनाओं के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए उसे आनुपातिक राशि का भुगतान करना होगा।		

6	एचईसी को 17 इमारतों और 1155 आवासीय क्वार्टर के साथ-साथ 14223.00 लाख मूल्य की सटी हुई जमीन को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अनुमति देना।	एचईसी को 17 गैर आवासीय इमारत तथा 1148 आवासीय क्वार्टर झारखण्ड सरकार को सौंपना है।	17 गैर आवासीय भवनों, 1148 आवासीय भवनों तथा संबंधित भूमि के 85.11 एकड़ पर पहले से ही झारखण्ड सरकार को 31.03.2009 तक के लिए किराए पर देने के लिए अधिकृत किया जा चुका है और इसे झारखण्ड सरकार को सौंप दिया गया। भवनों का पंजीकरण अभी किया जाना बाकी है।

33.3) दिनांक 12.04.2017 को भारत सरकार द्वारा निगम की 675.43 एकड़ जमीन को 74298.00 लाख रू. में झारखण्ड सरकार को हस्तान्तरण हेतु अनुमोदन दिया गया। दिनांक 23.05.2018 को हस्तांतरण विलेख अनुसार 675.43 एकड़ जमीन में से 508.44 एकड़ जमीन को 55928.40 लाख रू. में झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण किया गया और दिनांक 31.03.2020 तक 55928.40 लाख रू. और हस्तांतरण विलेख के अनुसार दिनांक 17.01.2019 को 16264.60 लाख रूपया में 147.86 एकड़ जमीन झारखण्ड सरकार को हस्तांतरण किया गया। कुल 72193.00 लाख रूपया में 31.02.2020 तक मात्र 67957.00 लाख रूपया प्राप्त किया एवं बकाया राशि 4236.00 लाख रूपया टिप्पणी संख्या 21 में झारखण्ड सरकार से प्राप्य योग्य हेतु दर्शाया गया है।

भारत सरकार ने झारखण्ड सरकार को एच.ई.सी. भूमि के हस्तान्तरण के कारण पूँजीगत लाभ कर देयता को पूरा करने के लिए स्वीकृत अनुदान के उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। डिएचआइ, झारखण्ड सरकार से बाकी की प्राप्त सभी का उपयोग कार्यशील पूँजी के रूप में करने की अनुमती दिया है।

33.4) 31.03.2020 तक 5 क्युबिक मीटर हाईड्रोलिक एक्सवेटर - एच.ई.एक्स-400 के विकास हेतु प्रोजेक्ट में डी.एच. आई. का अनुदान राशि 500.00 लाख रू. (विगत वर्ष 500.00 लाख) एस.ई.सी. द्वारा प्राप्त किया और दिनांक 31.03.2020 तक 573.06 लाख रू. का उपयोग किया गया। उपयोग राशि डब्लू आई पी एवं अनुदान को चालु दायित्व में नोट संख्या 09 पर दर्शाया गया है।

33.5) वर्ष 2017-18 में डी.एच.आई. ने स्वच्छ अभियान हेतु 55.00 लाख रू. जो चालू दायित्व नोट नं. 9 में दर्शाया गया है, अनुदान को एच.ई.सी. ने प्राप्त किया और दिनांक 31.3.2020 एवं 31.03.2020 तक 61.74 लाख लगा जो वित्तिय वर्ष 2019-20 में सम्पत्ति में बदल गया है एवं 6.74 लाख अनुदान समायोजन के बाद सम्पती में दर्शाया गया है।

33.6) डी.एच.आई. द्वारा 5000.00 लाख रू. कोमन इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र के लिए एच.ई.सी. में प्रशिक्षण संस्थान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त रकम 5000.00 लाख रू. में सरकारी अनुदान रकम 3000.00 लाख रू. और एच.ई.सी. द्वारा रकम 2000.00 लाख रू. का योगदान होगा।

डी.एच.आई. एवं कॉमन इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र के बीच दिसम्बर, 2006 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया है। जिसमें प्रशिक्षण, स्कील विकास, कन्सल्टेशन एवं विकास और वितरण, आविष्कार, प्रौद्योगिकों की विपणन हेतु व्यवस्था की गई है। इसमें मेल्टिंग, स्टील मेकिंग, वेल्डिंग, गीयर का निर्माण इत्यादि है।

दिनांक 24.12.2016 को एच.ई.सी. एवं सी.ई.एफ.सी., प्रथम के बीच करार में हस्ताक्षर हुआ। एच.ई.सी. प्रर्यवेक्षण कम्पनी एवं सीईएफसी, प्रथम इसको कार्यान्वित करने वाला कम्पनी होगा।

दिनांक 31.03.2020 तक इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा रकम 1675.00 लाख रू. और एच.ई.सी. द्वारा 737.89 लाख रू. तक योगदान दिया गया। (वित्तीय वर्ष 2018-19 498.00 लाख रू., वित्तीय वर्ष 2017-18), 128.14 लाख रू. वित्तीय वर्ष 2016-17, 111.75 लाख रू.) जो एचईसी लेखा में दर्शाया गया है। पत्रांक 12/26/2015 एच ई एवं एम टी दिनांक 11.01.2019 के अनुसार एचईसी को फंड की हस्तांतरण एवं अन्य सम्पत्ती और दायित्व देने के बाद सीईएफसी, प्रथमा फाउन्डेशन की बन्दी पर डी एच आई द्वारा जरूरी कार्रवाई के करने हेतु फैसला लिया है।

सीईएफसी प्रथम का सम्पती की हस्तांतरण और दायित्व का भुगतान सीइएफसी के अंकेक्षण के बाद का प्रगति पर है। अतः लेखा में सम्पत्ती और दायित्व नहीं दर्शाया गया है। वित्तिय वर्ष 2019-20 में सी ई एफ सी, प्रथम से स्क्रो खाना में रकम 190.00 लाख रू. प्राप्त हुआ है 455.81 लाख रूपये सीइएफसी के लिए स्क्रो अकाउण्ट में रखा गया, जो लेखा के दायित्व पर टिप्पणी संख्या 9 अन्य चालू दायित्व में दर्शाया गया है।

33.7) मेसर्स एन0 सी0 एल0 से लम्बित ₹ 500.72 लाख जो विगत 20 वर्षो से लम्बित है के लिए व्यापार प्राप्य के लिए कोई प्रावधान किया गया है क्योंकि सचिव सार्वजनिक लोग उद्यम, भारत सरकार, द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा एच. ई. सी. के पक्ष में निर्णय दिया गया है। इस निर्णय को अतिरिक्त सचिव, कानून एवं कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा पुष्टि कर दी गई है। इसके बाद एन. सी. एल. ने माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एक अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। एन. सी. एल. के अपील पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई, 2016 को एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की थी तथा दिनांक 14.05.2019 को दोनों पार्टियों में सोल आरबीट्रटर के साथ बैठक हुई। एचईसी और एनसीएल के बीच आपसी समझौते के बाद 2020-21 में 957.31 लाख के, शेष 500.72 लाख को समझौते के अनुसार मैसर्स एनसीएल को वैध दस्तावेजों के उत्पादन पर प्राप्य के रूप में दिखाया गया है। हालांकि प्रावधान वित्त 2019-20 से 500.72 लाख का किया गया है।

33.8) सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 में ग्रेच्युटी देयता को समाप्त करने के लिए ₹ 4789.00 लाख का गैर-योजना ऋण प्रदान किया जो 2015-16 से प्रति वर्ष पाँच वार्षिक किश्तों में देय होगी। वित्तीय संकट के कारण कम्पनी उस किश्त और ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। दिनांक 31.03.2020 को ब्याज/पेनल ब्याज सहित रू. 9601.78 बकाया है।

33.9) 1995-96 तक दीर्घकालीन लीज़ में 16357.06 लाख रुपया प्राप्त किया। लीज़ काल में 574.33 लाख रू. (विगत वर्ष 574.33 लाख रू.) को आय में परिशोधित किया गया था और पूंजी आरक्षित टिप्पणी संख्या 3 में समंजन किया गया है।

33.10) 3209.46 लाख रुपयों का इंटरप्लांट हस्तांतरण (पिछले वर्ष 4315.69 लाख) कंपनी के संचालन के कुल राजस्व से बाहर रखा गया है।

33.11) 31.03.2020 को या उससे पहले प्रभावित बिक्री को 26.04.2020 तक ग्राहक के समक्ष प्राप्त किया गया, यह प्रचलन राजस्व माना गया है।

33.12) डी.एच.ई. से दिनांक 01.01.2017 से वेतन पुनरीक्षण से संबंधित किसी दिशानिर्देश/अनुदेश के अभाव में, वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

33.13) वित्तीय संकट के कारण, कम्पनी समवर्ती आधार पर अनुसूची के समय के अनुसार ग्रेच्युटी देयता 2905.06 लाख रू. को चुकाने की स्थिति में नहीं है और विलम्ब पर विलम्ब का कोई प्रावधान किया गया है।

33.14(अ) परिचालन से राजस्व अनुमोदित विलिंग कार्यक्रम एवं समस्त कार्य के रियर के विलिंग देन और निरीक्षण के आधार पर भुगतान की शर्त इन दोनों के आधार पर प्रोजेक्ट डिवीजन द्वारा निष्पादित प्रमुख अनुबन्ध (पिछले वर्ष 8275.22 लाख रु.) के मद्देनजर 2312.34 लाख रु. की राशि शामिल है।

01.04.2003 को या उसके बाद निर्माण संविदा से संबंधित खुलासे लेखांकन मानक एएस-7 (संशोधित) के आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार हैं :

लाख रु. में

	2019-20	2018-19
वर्ष के दौरान चिन्हित अनुबंध राजस्व	**2312.34**	8275.22
31.03.2020 तक अनुबंध की प्रगति के संबंध में		
लागत खर्च और चिन्हित लाभ (न्यूनतम चिन्हित हानियां)	**138344.68**	134875.33
प्राप्त अग्रिम की राशि	**132565.01**	131768.32
प्रतिधारण की राशि (अस्थगित ऋण)	**0.00**	0.00
उचित नेटिंग ऑफ के बाद ग्राहकों से बकाया राशि के संबंध में		
एक परिसंपत्ति के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों से बकाया सकल राशि	**5779.67**	3107.01
एक दायित्व के रूप में ठेका पर काम करने के लिए ग्राहकों पर बकाया सकल राशि	**10.33**	89.74
आकस्मिक व्यय	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं

(ब) निर्माण संविदा के संबंध में 1 अप्रैल 2003 को या उससे पहले के कुल लागत और कुल राजस्व का अनुमान लेखा मानक (एएस) - 7 (आर) के अनुसार निर्माण संविदा पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गयी, उसे समयानुसार नवीनतम बनाया गया एवं चालू वर्ष के खाते में आवश्यक समायोजन किए गये।

33.15) फुटकर देनदार की शेष राशि की पुष्टि के लिये प्रमुख ग्राहकों के लिये पत्र जारी करने के बावजूद ग्राहकों से आज तक कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। जमा, ऋण और अग्रिम, विविध लेनदार आदि के बारे में पुष्टि, संबंधित पक्षों से प्राप्त नहीं की जा सकी।

33.16) सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित अतिदेय राशि पर ब्याज नहीं दिया गया। उसी को नीचे दर्शाया गया है-

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006		
		लाख रु. में
	2019-20	2018-19
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में विलंबित भुगतान बकाया के कारण		
सिद्धांत	1483.74	1644.33
ब्याज	2301.74	1863.91
अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष के दौरान सभी विलंबित भुगतान पर दिया गया कुल ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
इस अधिनियम के तहत ब्याज की राशि के बिना वर्ष के दौरान देय तिथि के बाद मूलधन राशि पर बकाया ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं (वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज दर्शाया गया है लेकिन बकाया नहीं है क्योंकि ब्याज देय तिथि से मासिक आधार पर गणना की जाती है)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया (सभी ब्याज राशि जो पूर्व के वर्षों से बकाया है को एक साथ दर्शाया गया है जबतक कि ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से आयकर प्रयोजन के लिए गैर स्वीकार्य ब्याज राशि का पता लगाने के लिए)	कुछ नहीं	कुछ नहीं

33.17 विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) संस्थान द्वारा जारी एएस-22 के रूप में अस्थगित कर परिसंपत्तियों (नेट) को वहां आभासी निश्चितता के अभाव में मान्यता प्रदान नहीं किया गया, जो ठोस सबूत द्वारा समर्थित है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगा जिसके खिलाफ इस तरह के अस्थगित कर संपत्ति को महसूस किया जा सकता है।

33.18 व्यवस्था का विवरण :

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 01.04.2019 को प्रारंभिक अधिशेष	जोड़े : अवधि के दौरान व्यवस्था बनाया	घटाये : अवधि के दौरान व्यवस्था का उपयोग	घटाये : अवधि के दौरान अनुपयोग व्यवस्था का रिर्वस किया	दिनांक 31.03.2020 को समापन शेष
1	बोनस के लिए प्रावधान	143.75	74.04	72.15	0.00	145.64
2	अप्राप्य एवं संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था	14832.59	5651.65	0.00	716.43	19767.81
3	ग्राहक द्वारा प्राप्त हरजाना के लिए व्यवस्था	6491.57	338.46	82.76	138.35	6608.92
4	दावा प्राप्त हेतु व्यवस्था	208.50	4457.84	0.00	0.00	4666.34
5	अन्य के साथ संदेहात्मक जमा हेतु व्यवस्था	187.85	4.05	0.00	0.00	191.90

6	सप्लाइर/सब-ठेकेदार के लिए संदेहात्मक अग्रिम हेतु व्यवस्था	712.19	0.00	9.30	0.00	702.89
7	विवादित केस, जॉब, इ.एम.डी, एस. डी अग्रिम, बैट, प्राप्ति हेतु व्यवस्था	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
8	वस्तु सूचि के लिए व्यवस्था	3632.39	144.50	245.65	4.97	3526.27
9	उपदान हेतु व्यवस्था	6223.70	700.84	355.17	1.40	6567.97
10	छुट्टी नकदीकरण हेतु व्यवस्था	3164.07	384.52	119.15	23.38	3406.06
11	सेवानिवृत यात्रा भत्ता का व्यवस्था	46.77	6.48	0.57	0.00	52.68
12	एल.टी.सी./एल.टी.ए के लिए व्यवस्था	215.28	35.56	36.02	57.47	157.35
13	वेतन पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था	511.88	0.00	386.99	0.00	124.89
14	वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	5.70	66.25	17.17	0.00	54.78

33.19 1 अप्रैल, 2007 के संशोधन नियमों (वित्तीय मानक), 2008 के तहत कंपनी लेखा जोखा मानक 15 द्वारा किए गए संशोधन (पुनरीक्षित 2005) के तहत कर्मचारियों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य है :

(अ) आईसीएआई (ICAI) के द्वारा जारी पुनरीक्षित लेखा मानक 15 - कर्मचारी हितों के प्रावधानों के तहत कंपनी 31 मार्च 2020 तक कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए कृत संकल्प है।

(ब) 31 मार्च, 2020 को वास्तविक मूल्य निर्धारण के अनुसार हितों के प्रावधानों को परिभाषित किया जाए।

(1) **उपदान -** कर्मचारी जो 5 वर्ष या इससे अधिक कम्पनी की सेवा करते हैं उन्हें 15 दिन का वेतन प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर सेवानिवृति के उपरांत उपदान स्वरूप देय होगा। उपदान की देय राशि 20 लाख तक सीमित है।

(2) **छुट्टी नकदीकरण -** अर्जित अवकाश की राशि सेवानिवृति होने पर पूरा देय होगा। अर्जित अवकाश अधिक से अधिक पूर्ण सेवा काल तक 300 दिन ही जमा कर सकते हैं। जमा किए गए अर्जित अवकाश की नकदीकरण एक कैलेण्डर वर्ष में एक ही बार 30 दिन का देय होगा।

(3) **भविष्य निधि -** मूलवेतन और मंहगाई भत्ता के 12% राशि कम्पनी की भविष्य निधि संगठन के ट्रस्ट में जमा होता है।

(4) **सेवानिवृति के बाद का फायदा -** सेवानिवृति उपरान्त कर्मचारियों को अपने स्थायी गृह स्थान तक जाने को राशि देय है।

(5) भविष्य निधि न्यास को वर्ष के दौरान देय/देय कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी के प्रोविडेंटफंड ट्रस्ट को कर्मचारियों के भविष्य निधि और विविध प्रावधानों अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट दी गई है। छूट के अनुदान की शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि नियोक्ता ट्रस्ट विज़ द्वारा घोषित ब्याज दर में, यदि कोई हो, तो अच्छी कमी करेगा। ए-विज़ सांविधिाक दर। कंपनी भविष्य निधि के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर खातों में पहले से ही पर्याप्त प्रावधान कर चुकी है।

(6) प्रोविडेन्ट फंड के अलावा परिभाषित लाभ दायित्व अनफंड है।

(7) लेखा मानक (ए. एस) - 15 (कर्मचारियों के लाभों पर संशोधित) के तहत उपेक्षित अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित है :-

लाख रू. में

	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	निवृति यात्रा भत्ता
मार्च 31, 2020 के लिए वर्ष की समाप्ति पर लाभ व हानि के आधार पर खर्च का ब्यौरा			
1. तात्कालिक सेवा मूल्य	305.34	251.73	3.55
2. पूर्व सेवा मूल्य	0.57	0.00	0.00
3. ब्याज सेवा मूल्य	480.25	244.15	3.61
4. एचपीएल के कारण अनुग्रह राशि में कटौती	0.00	0.00	0.00
5. वर्ष के दौरान वास्तविक लाभ या हानि का लेखा जोखा	638.63	142.77	0.91
कुल खर्च	1424.79	638.65	8.07
बैलेंस शीट में वर्णित वास्तविक सम्पत्ति (जिम्मेदारी)			
1. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य (तात्कालिक)	615.75	844.08	2.89
2. अनुग्रह का वर्तमान मूल्य गैर (तात्कालिक)	5952.22	2561.97	49.80
3. अनुदान का लेखा जोखा	(6567.97)	(3406.05)	(52.69)
4. बैलेंस शीट में चिन्हित वास्तविक सम्पत्ति	6567.97	3406.05	52.69
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुग्रह राशि के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन			
1. 1 अप्रैल 2019 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	6223.70	3164.08	46.76
2. वर्तमान सेवा दर	305.34	251.73	3.55
3. ब्याज दर	480.25	244.15	3.61
4. पिछला सेवा दर	0.00	0.00	0.00
5. अनुदान देय	(1079.95)	(396.68)	(2.14)
6. अनुग्रह पर वास्तविक लाभ या हानि	638.63	142.77	0.91
7. 31 मार्च 2019 को अनुग्रह राशि का तात्कालिक मूल्य	6567.97	3406.05	52.69
अनुमानित ब्यौरा			
1. छूट दर	6.65%	6.65%	6.65%
2. क्षतिपूर्ति दर में बढ़ोतरी	8.00%	8.00%	8.00%
3. मोरटेलिटी दर एलआईसी (2006-2008) टेबल			

33.20) ICAI द्वारा वित्तीय मानक-17 (AS-17) द्वारा जारी खंड युक्त सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है- विभिन्न व्यवसायिक इकाइयों (खंडों) 2019-2020 के बारे में सूचनाएँ :--

(लाख रु. में)

	एफ.एफ.पी प्लांट	एच.एम.बी.पी. प्लांट	एच.एम.टी.पी. प्लांट	प्रोजेक्ट (टर्नकी)	एच.ई.सी.
राजस्व					
बाहरी बिक्री	1831.49	8824.35	299.94	2312.34	13268.12
इंटर-प्लांट/अपने उपयोग के लिए किया गया कार्य	3360.90	307.55	248.07	0.00	3916.52
कुल राजस्व	**5192.39**	**9131.90**	**548.01**	**2312.34**	**17184.64**
कुल लाभ (ब्याज पूर्व कर पश्चात)	**(13270.01)**	**(19135.94)**	**(1848.47)**	**(3858.58)**	**(38113.00)**
ब्याज	824.12	1478.58	121.19	0.00	2423.89
कुल लाभ	**(14094.13)**	**(20614.52)**	**(1969.66)**	**(3858.58)**	**(40536.89)**
विशेष वस्तुएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	एफ.एफ.पी प्लांट	एच.एम.बी.पी. प्लांट	एच.एम.टी.पी. प्लांट	प्रोजेक्ट (टर्नकी)	एच.ई.सी.
पूर्व के समय में हुई आमदनी	(330.00)	(444.59)	(235.65)	20.73	(989.52)
सामान्य गतिविधियों से कुल लाभ (कर पश्चात)	(13764.13)	(20169.93)	(1734.00)	(3879.31)	(39547.37)
अन्य सूचनाएँ					
सम्पत्ति के खंड	10985.95	25092.63	2124.28	4492.10	42694.95
वर्ष के दौरान वृद्धि	235.32	43.81	10.96	1.31	291.40
अविभाजित सम्पत्ति					14009.25
कुल सम्पति					57030.16
खंडों की जवाबदेही	25892.78	14815.60	1841.53	10893.57	53043.48
अविभाजित खंडों की जवाबदेही					44059.61
कुल देयताएं					97103.09
पूंजी खर्च	219.57	22.33	9.71	1.31	252.92
अविभाजित पूंजी खर्च					(80.21)
कुल पूंजी खर्च					172.71
मूल्यह्रास	508.43	136.67	19.05	1.29	665.44
अविभाजित मूल्यह्रास					68.79
कुल मूल्यह्रास					734.23

33.21) ICAI द्वारा वित्तीय मानक -18 (AS & 18) द्वारा पार्टी से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की प्रस्तुति निम्नलिखित है -

संबन्धित पार्टी का ब्यौरा लेन देन का विवरण (लाख रु. में)

	मुख्य प्रबंधन कर्मचारी	अवधि	पारिश्रमिक	सत्रीय लाभ
1	श्री नलिन सिंघल सीएनडी (अतिरिक्त प्रभार)	10/2019 - 03/2020	0.00	0.00
2	श्रीमती अरून्धती पंडा निदेशक (वित्त)	04/2019 - 03/2020	30.22	3.54
3	श्री मृदुल कुमार सक्सेना सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक कार्मिक)	04/2019 - 09/2019 10/2019 - 03/2020	26.40	3.23
4	डॉ. राणा एस. चक्रवर्ती निदेशक (विपणन)	04/2019 - 03/2020	26.52	3.23
		कुल	**83.14**	**10.00**

उपरोक्त के अलावा उन्हें (डॉ. नलिन सिंघल को छोड़कर) घर, कार इत्यादि रियायती दर पर मिलता है।

33.22) कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में घाटे की स्थिति में यह कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के खाते में ऐसा कोई घाटा परिलक्षित नहीं है।

33.23) वर्ष के दौरान कुछ विशेष क्षेत्रों में जैसे परिवहन और चिकित्सा, जैसे खुदरा सामान, दवाएँ और अन्य वस्तुओं को खर्च हो चुका माना गया।

33.24) 31.03.2020 को कम्पनी का नेटवर्थ निगेटिव था चूँकी कम्पनी अनलिस्टेड है अतएव वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईएनडी ए.एस लागु नहीं है।

33.25) हमारे विचार से केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर हमारे दावे और केन्द्रीय विद्यालय का 140.23 लाख रू. की दावा, जो कागजात के अभाव में प्रप्री नहीं है और इसलिए इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

33.26) विगत वर्षों के हिसाब या लेखा जोखा को पुनर्विभाजित, पुनर्वर्गित, पुनर्परिभाषित और पुनर्व्यवस्थित करना है ताकि चालू वर्ष की तुलना में उसे और व्यावहारिक बनाया जा सके।

33.27 अतिरिक्त सूचना

₹ लाख में

		चालू वर्ष	विगत वर्ष
अ.	**1.** उन कर्मचारियों का विवरण जो पूरे वर्ष भर नियोजित थे एवं जिनका वार्षिक परिश्रमिक (लाभों सहित) 60,00,000.00 रुपये या इससे ज्यादा था या ऐसे कर्मचारी जो एक वर्ष से कम समय के लिए नियोजित थे एवं जिनका मासिक पारिश्रमिक (लाभों सहित) 5,00,000.00 रुपये या इससे ज्यादा था।	शून्य	शून्य
अ.	**2. लेखा परीक्षक व्यय**		
	(i) सांविधिक लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	2.25	2.25
	(ii) कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.38	0.38
	(iii) व्यय की प्रतिपूर्ति	0.13	0.40

(ब) कच्चे माल, अवयवों, भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों की खपत मूल्य (तैयार माल की खरीद सहित) तथा उनकी प्रतिशतता

₹ लाख में

		2019 - 20		2018 - 19	
(ए)	**कच्चे माल**	**मूल्य**	**%**	**मूल्य**	**%**
	(1) आयातित	1494.01	17.55	6323.38	48.74
	(2) स्वदेशी	7017.04	82.45	6649.74	51.26
	योग	**8511.05**	**100.00**	**12973.12**	**100.00**
(बी)	**भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे (मरम्मत तथा रख रखाव के लिए प्रयोग में लाये गए भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे सहित)**				
	(1) आयातित	375.53	5.90	530.75	0.25
	(2) स्वदेशी	5987.10	94.10	7964.75	93.75
	योग	**6362.63**	**100.00**	**8495.50**	**100.00**

टिप्पणी : निर्धारित एजेन्सियों द्वारा आयातित वस्तुओं को छोड़कर

(स) सी.आई.एफ. के आधार पर आयात का मूल्य

कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे, जी.आई.टी अवयव	1343.00	100.00	4816.95	100.00
योग	**1343.00**	**100.00**	**4816.95**	**100.00**

एच. एम. बी. पी. के मामले में कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स के सी. आई. एफ. मूल्य में सामग्री का दाम एवं सामग्री दाम का 5.5 प्रतिशत बीमा और भाड़ा के लिए सम्मिलित है।

(द) विदेशी मुद्रा में व्यय

विदेश यात्रा-भत्ता विदेश यात्रा भत्ता	5.48	5.67
योग	**5.48**	**5.67**

33.28) नोट संख्या 1 से 32 और मुद्रा संबंधी तथ्य इस खाते के अभिन्न अंग है।

(ए. के. कंठ)	**(आर. के. श्रीवास्तव)**	**(अरून्धती पंडा)**	**(डॉ. नलिन सिंघल)**
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबंधक (ए&बी)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

कृते लोधा पटेल वाधवा एण्ड कम्पनी
चार्टड एकाउटेंटस

(सीए एस. के. वाधवा)
पार्टनर सदस्यता सं. - 074749
फर्म पंजीयन सं. - 006271C
UDIN : 20079749AAAACP9040

स्थान - राँची

दिनांक - 04.11.2020

कंपनी की कार्यक्षमता

प्लांट विविध उत्पादों का निमार्ण करने में समथ है, जिसमें कुछ उत्पादों का विवरण निम्नांकित है:

फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट

आयरन कास्टिंग्स	: 100 टन वजन तक
स्टील कास्टिंग्स	: 90 टन वजन तक
नन-फेरस कास्टिंग्स	: 2 टन वजन तक
फोर्जिंग्स	: 40 टन वजन तक
रॉल्स	: हॉट रॉलिंग मिल, स्लैबिंग, ब्लोमिंग मिल हेतु 40 टन वजन तक फोर्ज्ड इंडक्शन हारडेंड रॉल्स, एस.सी., आयरन रॉल्स

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

- ब्लास्ट फर्नेस : क्षमता 1719,2000 एवं 3200 घन मी.
- कोक ओवेन बैटरिज : 4.3 से 7 मी. की ऊँचाई
- सिन्टरिंग प्लांट्स : आकार 75 वर्ग मी., 80 वर्ग मी., 252 वर्ग मी. एवं 312 वर्ग मी.
- 100 टन/130 टन एवं 300 टन एल.डी कन्वर्टर्स समेत स्टील मेल्टिंग शॉप इक्विपमेंट
- कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन : स्लैबस एवं ब्लूम्स हेतु
- रॉलिंग मिल इक्विपमेंट
- इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल्सः क्षमता 5 घन मी., 12.5/15 घन मी.
- हाईड्रोलिक शॉवेल्सः क्षमता 3 से 8 घन मी.
- वाकिंग डैगलाइन्स 20/90 एवं 24/96
- उच्च शक्ति के मेटालर्जिकल क्रेन एवं अन्य ई.ओ.टी. क्रेनः क्षमता 450 टन एवं रोटेटिंग टौंग क्रेन
- मैटेरियल हैण्डलिंग इक्विपमेंट यथा-वैगन टीपलर, एपरॉन फीडर, रिक्लेमर्स आदि।
- मूल उद्योगों की जरूरत हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण यथा प्राइमरी जाइरेटरी एवं अन्य क्रसर्स
- ओवर बर्डेन ब्लॉस्ट होल ड्रिल्सः 250 मि.मी. व्यास
- प्रोजेक्ट डिवीजन निम्नांकित क्षेत्रों में टर्न-की आधारित प्रोजेक्टों का कार्य निष्पादन करने में समर्थ है :
  - मैटेरियल हैंडलिंग सिस्टम
  - कोल डीगेशन प्लांट
  - कोल डीगैसीफिकेशन प्लांट
  - स्टील प्लांट फैसिलिटीज यथा : सिन्टरिंग प्लांट, कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट एवं कोक ओवेन बाई-प्रोडेक्ट प्लांट
  - सीमेंट प्लांट

हेवी मशीन टूल्स प्लांट

रेलवे हेतु विशेष प्रयोजनार्थ मशीन टूल्स समेत विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स, इसके साथ-साथ प्लांट कुछ मॉडल के सी.एन.सी मशीन के उत्पादन में भी समर्थ है।

CAPABILITIES OF THE COMPANY

The plants can manufacture various products, some of which are as here under:

Foundry Forge Plant

Iron Castings	- Weighing upto 100 T
Steel Castings	- Weighing upto 90 T
Non-Ferrous Casting	- Weighing upto 2 T
Forgings	- Weighing upto 40 T
Rolls	- Forged induction hardened Roolls weighing upto 40 T for Hot Rolling Mils, Slabbing Mills, Blooming Mills, SG Iron Rools etc.

HEAVY MACHINE BULDING PLANT

- Blast Furance of Capacity 1719,2000 and 3200 Cu. M
- Koke Oven Batteries from 4.3 to 7m height
- Sinter plants of 75M2, 80 M2 252m2 and 312 M2 sige
- Steel Melting Shop Equipment Inclusive of 100T/130T and 300T L.D. Converters
- Continuous Casting Machines for Stabs & Blooms
- Rollin Mill Equipment
- Electric Rope Shovels of capacity 5 M3, 10M3, 12.5/15M3
- Hydrualic Shovels of 3 to 8 Cu. M. capacity
- Walking Draglines 20/90 and 24/96
- Metallurgical Cranes and other EOT Cranes of high capacity up to 450 T and Rotating Tong Cranes
- Material Handling equipment namely, Wagon Tippler, Apron Feeder, Reclaimers etc.
- Various other equipment namely, Primary Gyratory and other Crushers needed by core sector industries.
- Over Burden Blast Hole Drills-Dia 250 mm
- The Project Division can take up execution of projects of turnkey basis in the following areas
  - Material handlling system
  - Coal Deshelling Washery
  - Caol Degasification Plant
  - Steel Plant facilities like Sintering Plant, Continuous Costing Plant and Coke Oven By-Product Plant
  - Cement Plants

HEAVY MACHINE TOOLS PLANT

Various types of machine tools including special purpose machine tools for Railways. The plants is capable of producing CNC Machine Tools of some models as well.

एच. ई. सी.

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED

Corporate Office

Plant Plaza Road, Dhurwa, Ranchi, 834004, Jharkhand (India)
Phone : +91 651 2401249 / 2401176 | Fax +91 651 2400579 / 2401571
Email : corpmktg@hecltd.com

Branch Offices

New Delhi
Heavy Engineering Corporation Limited, E-84, Masjid Moth, Greater Kailash-III
New Delhi - 110 048 | Tel : +91 11 29220224, 41437422 | Fax : +91 11 29220225
E-mail : hecdelhi@hecltd.com

Kolkata
Heavy Engineering Corporation Limited, 77, Park Street, Kolkata - 700 016
Tel : +91 33 22172397, 22290661 | Fax : +91 33 22291509
E-mail : heckolkata@hecltd.com

2282_21_Kailash Paper, Ranchi • 1800 889 4101